रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

(नाईपर),एस.ए.एस. नगर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 406.– राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की सिनेट अध्यादेबा, 2005 का संषोधन करती है। ये संषोधन राष्ट्रीय औषधीय–षिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 की धारा 13) की धारा 28 और धारा 29 के अनुसरण में मास्टर डिग्री और डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी डिग्री से संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्यापन पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों में प्रवेष के लिए प्रक्रियाओं, संदत्त की जाने वाली फीस, मूल्यांकन की पद्धति, विभिन्न समितियों की स्थापना, परीक्षक बोर्ड और डिग्रियों के अधिनिर्णय को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अध्यादेष (संषोधित) बनाती हैं और यह निर्देष देती है कि उक्त अध्यादेष प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:–

1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) इस अध्यादेष का नाम राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (डिग्री ऑफ मास्टर्स और डॉक्टर आफ फिलोसफी) संषोधित अध्यादेष, 2014 है ।

(ख) यह राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2) परिभाषाएं :

(क) **सलाहकार** – से अभिप्रेत संस्थान का कोई संकाय सदस्य जिसे विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है,

(ख) **सलाहकार समिति**– से अभिप्रेत विभागीय षैक्षणिक सलाहकार समिति है,

(ग) **बोर्ड** – से अभिप्रेत परीक्षकों का बोर्ड है,

(घ) **अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड** – से अभिप्रेत संस्थान का अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड है,

(ड) **बी.ई या बी.टेक** – से अभिप्रेत क्रमषः इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री या प्रोद्यौगिकी की बैचलर डिग्री है,

(च) **बी.फार्म** – से अभिप्रेत फार्मेसी की बैचलर डिग्री है,

(छ) **बी.वी.एस.सी**. – से अभिप्रेत पषु चिकित्सा विज्ञान की बैचलर डिग्री है,

(ज) **बी.ए.एम.एस**.– से अभिप्रेत आयुर्वेद औषधियाँ एवं सर्जरी की बैचलर डिग्री है,

(झ) **अभ्यर्थी** – से अभिप्रेत संस्थान के किसी षैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेष के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति है,
(ञ) **सी.जी.पी.ए.**– से अभिप्रेत संचयी ग्रेड बिंदु औसत है,
(ट) **पाठयक्रम कार्य**– से अभिप्रेत किसी विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले संबंधित विभाग द्वारा बनाये गए और प्रस्थापित अध्ययन पाठयक्रम है,
(ठ) **डिग्री**– से अभिप्रेत मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्म.) फार्मेसी में मास्टर आफ टैक्नोलोजी {एम.टैक (फार्म)}, मास्टर आफ साइंस, (फार्मास्यूटिकल्स साइंसेस), {एम.एस.(फार्म)}, मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन (फार्म) {एम.बी.ए.(फार्म)}, और डाक्टर आफ फिलोसफी (पी.एच.डी) जो लागू हो है,
(ड) **डी.ए.ए.सी.** – से अभिप्रेत विभागीय षैक्षणिक सलाहकार समिति है,
(ढ) **जीपेट**– से अभिप्रेत स्नातक फार्मेसी एप्टीट्यूड परीक्षा (ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित) है,

(ण) **गेट** – से अभिप्रेत भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा है,
(त) **संस्थान** – से अभिप्रेत साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब, स्थित राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है,
(थ) **संस्थान वित्त पोषित विद्यार्थी** – से अभिप्रेत संस्थान अध्येता का उपभोग करने वाला, कोई विद्यार्थी है,
(द) **संयुक्त सलाहकार**– से अभिप्रेत विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य को पूरा करने में सलाहकार की सहायता करने के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्य/एक्सपर्ट को छात्र के षोध कार्य निरीक्षण के लिए नियुक्त करना है,
(ध) **न्यूनतम पंजीकरण अवधि**– से अभिप्रेत वह न्यूनतम अवधि है जिसके दौरान विद्यार्थी अपने षोध निबंध को प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को पंजीकृत करता है।
(न) **एम.एस.सी.**– से अभिप्रेत मास्टर ऑफ साइंस है,
(प) **एम.टेक**.– से अभिप्रेत मास्टर ऑफ टैक्नोलॉजी है,
(फ) **नेट**– से अभिप्रेत विष्वविधालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है,
(ब) **अन्य संस्थान**– से अभिप्रेत वे महाविद्यालय या विष्वविद्यालय हैं, जो स्नातक डिग्री या उच्चतर डिग्री ऑफर करते हों,
(भ) **प्रायोजित विद्यार्थी**– से अभिप्रेत ऐसा विद्यार्थी है जो किसी बाह्य संगठन से अध्येतावृत्ति प्राप्त कर रहा है,
(म) **विद्यार्थी**– से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विषिष्ट षैक्षिक कार्यक्रम के लिए प्रवेष या पंजीकृत किया गया है,
(य) **विद्यार्थी अनुसंधान समिति**– से अभिप्रेत वह समिति हैं, जो विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य की प्रगति पर नजर रखती है।

(3) साधारण दिशा–निदेश :
(क) विभिन्न षैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेष के लिए न्यूनतम अर्हता, धारा 5 द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मापमानक के अनुसार होगी।
(ख) किसी विद्यार्थी से, अध्यादेष के अधीन षैक्षिक कार्यक्रम के लिए यथा उल्लिखित पाठ्यक्रमों की मार्फत न्यूनतम क्रैडिट उपार्जित करना और अनुमोदित सलाहकार के मार्गदर्षन के अधीन संस्थान में अनुसंधान कार्य करना अपेक्षित होगा, और विषेष परिस्थितियों में किसी विद्यार्थी को संस्थान के बाहर अनुसंधान का भाग पूरा करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमति दी जायेगी।
(ग) छात्र को धारा 25 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर एक विषेष मास्टर डिग्री कार्यक्रम की पात्रता के लिए ज़रूरी आवष्यकताओं को पूरा करना होगा।

(घ) पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को धारा 26 के अनुसार न्यूनतम पंजीकरण की अवधि की अपेक्षा का समाधान करना जरूरी है।

(ड) पी.एच.डी. विद्यार्थी की प्रवेष तिथि, उसकी आरंभिक अस्थायी पंजीकरण की तारीख होगी।
(च) यदि कोई विद्यार्थी किसी षैक्षिक कार्यक्रम से या पी.एच.डी. पंजीकरण से दो वर्ष के अन्तर्गत निलंबित हो जाता है उसकी छात्र सदस्या समाप्त हो जायेगी।

4) प्रवेश के लिए पात्रता – विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेष के लिए पात्रता के साधारण मार्गदर्षक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सभी षैक्षिक कार्यक्रम कलेण्डर के अनुसार चार समेस्टर की अवधि के होंगे।

(क) मास्टर ऑफ साइंस (फार्म)/कार्यक्रम :
निम्नलिखित विषेष कार्यक्रम प्रस्तावित है,
i) औषधीय रसायन विज्ञान
ii) प्राकृतिक उत्पाद
iii) पारंपरिक चिकित्सा
iv) औषध विष्लेषण
v) औषध विज्ञान और विष विज्ञान
vi) विनियामक विष विज्ञान
vii) भेषजीय शास्य
viii) जैव प्रौद्योगिकी
ix) फार्माकोइन्फरमैटिक्स

ख) मास्टर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम :
निम्नलिखित विषेष कार्यक्रम प्रस्तावित है,
i) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण) ,
ii) औषधीय निर्माण व्यवसाय
iii) नैदानिक अनुसंधान

ग) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (फार्म) कार्यक्रम :
निम्नलिखित विषेष कार्यक्रम प्रस्तावित है,
i) भेषजीय प्रौद्योगिकी (रसायन प्रक्रिया) ,
ii) भेषजीय प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)

घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन(फार्म) कार्यक्रम :
निम्नलिखित विषेष कार्यक्रम प्रस्तावित है,
i) वित्तीय ,
ii) मानव संसाधन प्रबंधन
iii) सूचना प्रणाली प्रबंधन
iv) विपणन
v) उत्पादन

ड) पी.एच.डी. कार्यक्रम विभिन्न विषयों में उपलब्ध होगी।

5) प्रवेश के लिए अर्हता :

(क) मास्टर ऑफ साइंस (फार्म)/कार्यक्रम :
i) औषधीय रसायन विज्ञान
बी. फार्म, एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)
ii) प्राकृतिक उत्पाद
बी. फार्म, एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)
iii) पारंपरिक चिकित्सा
बी. फार्म, बी.ए.एम.एस.,एम.एस.सी. (वनस्पति विज्ञान)
iv) औषध विश्लेषण
बी. फार्म, एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान/विष्लेषात्मक रसायन विज्ञान)
v) औषध विज्ञान और विष विज्ञान

बी. फार्म, बी.वी.एस.सी., एम.बी.बी.एस.

vi) विनियामक विष विज्ञान

बी. फार्म, बी.वी.एस.सी., एम.एस.सी. (औषध विज्ञान/विष विज्ञान/जीवन विज्ञान/जैव रसायन/चिकित्सा जैव प्रौदयोगिकी/प्राणी विज्ञान) एम.बी.बी.एस

vii) भेषजीय विज्ञान

बी. फार्म.

viii) जैव प्रौद्योगिकी

बी. फार्म. एम.एस.सी. (जैविक विज्ञान)

ix) फार्माकोइनफरमैटिक्स

बी. फार्म. एम.एस.सी./बी.टैक (बायोइंफोरमेटिक्स), एम.एस.सी. (कार्बनिक/फिजीकल/भेषजीय विज्ञान/जैव रसायन/जैव जीव विज्ञान/सूक्ष्मजैविकी)

ख) मास्टर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम :

i) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण)

बी. फार्म.

ii) औषधीय निर्माण व्यवसाय

बी. फार्म.

iii) नैदानिक अनुसंधान

बी. फार्म.

ग) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (फार्म.) कार्यक्रम :

i) भेषजीय प्रौद्योगिकी (रसायन प्रक्रिया)

बी.फार्म.,एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन) एवं बी.टैक. (रसायन अभियांत्रिकी) या समकक्ष।

ii) भेषजीय प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)

बी.फार्म., एम.एस.सी. (जीवन विज्ञान)

घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म) कार्यक्रम :

बी.फार्म.,बी.टैक. (रसायन अभियांत्रिकी या समकक्ष) एम.एस.सी. (रसायन/जीवन विज्ञान)

ड) पी.एच.डी. कार्यक्रम :

रसायन विज्ञान :

i) औषधीय रसायन विज्ञान

एम.एस. (फार्म) (रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद)

एम. फार्म. (औषधीय रसायान विज्ञान), एम.टेक. (फार्म.)

(बल्क ड्रग्स/रसायन प्रक्रिया), एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)

ii) प्राकृतिक उत्पाद

एम.एस. फार्म, (प्राकृतिक उत्पाद/ औषधीय रसायान विज्ञान/पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान)

एम. फार्म. (औषधीय रसायन विज्ञान/फार्माकोनोंग्सी), एम.टैक. (फार्म.) (बल्क ड्रग्स/रसायन प्रक्रिया), एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)

iii) फार्माकोइनफॉरमैटिक्स

एम.एस.(फार्म.) (फार्माकोइनफॉरमैटिक्स/औषधीय रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद), एम.टेक (फार्म) (बल्क ड्रग्स/रसायन प्रक्रिया), एम.एस.सी./एम.टैक. (बायोइंफोरमेटिक्स), एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान/फिजीकल/औषधीय रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/जैव भौतिकी/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजैविकी)

iv) औषधीय प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया रसायन)

एम.एस. (फार्म.), एम.टैक (फार्म.) एवं एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)

जैविक विज्ञान :

i) औषध विज्ञान और विष विज्ञान

एम.एस. (फार्म.)/एम.फार्म./एम.टेक (फार्म.) (औषधीय रसायन विज्ञान/भेषजीय रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद/औषधषास्त्र एवं विष विज्ञान/नियामक विष विज्ञान/सूत्रीकरण/जैव प्रौद्योगिकी/भेषजीय/फार्माइंफोरमेटिक्स), एम.ई./एम.टैक./एम.एस.सी. (औषधषास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी/संगणना विज्ञान/जीव रसायन/विष विज्ञान/प्राणी विज्ञान/षरीर विज्ञान/जीवन विज्ञान/सूक्ष्म जैविकी/कार्बनिक रसायन/ औषधीय रसायन विज्ञान) एम.डी. (औषधषास्त्र), एम.वी.एस.सी. (औषधषास्त्र/पैथोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी), एम.सी.ए.

ii) जैव प्रौद्योगिकी

एम.एस. (फार्म.)/एम.फार्म./एम.टैक (फार्म.) (औाधीय रसायन विज्ञान/भेषजीय रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद/औषधषास्त्र एवं विष विज्ञान/सूत्रीकरण/जैव प्रौद्योगिकी/भेषजीय/ फार्माइंफोरमेटिक्स) एम.ई./एम.टैक./एम.एस.सी.(जैव प्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान/कम्प्यूटेंषनल विज्ञान/ जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/षरीर विज्ञान/जीवन विज्ञान/कार्बनिक रसायन विज्ञान/भेषजीय विज्ञान) एम.वी.एस.सी., एम.सी.ए.

iii) औषधीय निर्माण व्यवसाय

एम.फार्म (औषध निर्माण व्यवसाय/सामूहिक व्यवसाय/चिकित्सा औषध निर्माण/ नैदानिक औषध निर्माण)

iv) औषधीय तकनीकी (जैव प्रौद्योगिकी)

एम.एस. (फार्म.)/एम.फार्म./एम.एस.सी. (जीवन विज्ञान),एम.टैक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी)

औषधीय विज्ञान :

i) औषधीय विश्लेषण

एम.एस. (फार्म.) (औषधीय विष्लेषण)/एम.फार्म (औषधीय विष्लेषण) एम.एस.सी. (कार्बनिक रसायन/विष्लेषात्मक रसायन)

ii) भेषजीय शास्य

एम.एस. (फार्म.) (भेषजीय शास्य/जैव प्रौद्योगिकी/औषधषास्त्र), एम.फार्म (भेषजीय शास्य/सूत्रीकरण) एम.टैक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी) एम.टैक (जैव रसायन अभियांत्रिकी/जैव प्रौद्योगिकी/रसायन अभियांत्रिकी)

iii) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण)

एम.एस. (फार्म.), (भेषजीय शास्य/जैव प्रौद्योगिकी/औषध विष्लेषण), एम.फार्म (भेषजीय षास्त्र/सूत्रीकरण) एम. टैक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी)

जीपेट/गेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य हैं परन्तु ये बी.वी.एस.सी/एम.वी. एस.सी./एम.बी.बी.एस./एम.डी./बी.ए.एम.एस. डिग्री धारकों एवं विदेषी नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। उम्मीदवार को अपनी पात्रता के लिए डिग्री कार्यक्रम में 10 अंकों के मापक्रम पर 6.75 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 60 प्रतिषत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पात्रता 10 मापक्रम पर 6.25 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 55 प्रतिषत अंक होने चाहिए। शारीरिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों के लिए पात्रता 10 मापक्रम पर 5.75 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 50 प्रतिषत अंक होने चाहिए।

6) प्रायोजित अभ्यर्थी—

मास्टर्स कार्यक्रमों की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त पॉच प्रतिषत सीटें सरकारी विभागों/अनुसंधान और विकास संगठन/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी औषध उद्यमों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी। प्रतिष्ठित निजी औषध उद्योगों से अभिप्राय वो उद्योग/सरकारी प्रायोजित, एक ट्रस्ट, प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, साझेदारी/एल.एल.पी. कम्पनी है। एक स्वनियोजित व्यक्ति/लघु उद्यमी जिसके पास औषध निर्माण का लाइसेंस हो तथा फार्मा यूनिट चलाने का 3 वर्ष का अनुभव हो, खुद को स्वनियोजित कर सकता है। इसके लिए 3 वर्ष का आयकर रिर्टन की योग्यता मान्य होगी। उद्योग/सरकारी प्रयोजित उम्मीदारों के लिए 100 करोड रूपये का टर्न ओवर (प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के लिए), 10 करोड़ (साझेदार/समिति दायित्व भागीदारी के लिए), 2 करोड़ (स्वरोजगार व्यक्ति के लिए) हो। उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्थी जो अपनी भविष्य निधि नियोक्ता कटवाता हो।

प्रायोजित अभ्यर्थी से नियमित फीस की तुलना में दुगनी फीस ली जाएगी।

पात्रता षर्ते :

क) डिग्री स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिषत अंक प्राप्त हो या संचयी ग्रेड बिंदु औसत 10 में से 6.75 हो।

ख) डिग्री पास करने के उपरान्त अपने प्रायोजक नियोक्ता के संगठन से न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन दो वर्षो का वेतन ब्यौरा भी आवष्यक है।

ग) प्रायोजित संगठन से प्रायोजित प्रमाणपत्र जिसमें यह सहमति ली जाएगी कि प्रायोजित कर्मचारी ड्यूटी पर होगा तथा उसे संस्थान में पढ़ाई/अनुसंधान के दौरान सामान्य वेतन/भत्ते कम्पनी द्वारा ही दिए जाएंगे । ऐसे कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा अध्ययन/अनुसंधान के लिए पूर्ण रूप से मुक्त करना होगा।

ग) इन प्रायोजित अभ्यर्थियों को जीपेट/गेट/नेट की परीक्षा की पात्रता में छूट दी जायेगी ।

घ) यदि नियोक्ता प्रायोजितता को खत्म करना चाहता है, तो नियोक्ता को प्रायोजितता खत्म करने के लिए कोई आवष्यक कारण स्पष्ट करना होगा। छात्र को अपना कारण स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान करने का मौका दिया जायेगा। जहाँ निदेषक एवं संकायाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होते हैं कि प्रायोजित छात्र ने नियोक्ता के साथ हुए समझौते में दिये गये नियमों और शर्तो का उल्लंघन किया है, तो संस्थान उसकी छात्र सदस्यता समाप्त कर दे। जहाँ छात्र ने नियम एवं शर्तो का उल्लंघन नहीं किया हैं, वहाँ विद्यार्थी को अध्ययन पूरा करने की अनुमति दी जायेगी। किसी भी स्थिति में फीस वापस नहीं की जायेगी।

पी.एच.डी. विद्यार्थी जिनको सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती हैं, जैसे कि विष्वविधालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इस तरह की कई अन्य संस्थाएँ, नियमानुसार इनके लिए पॉच प्रतिषत सीटें स्वीकृत सीटों से अतिरिक्त सीटें होगी।

7) विदेशी नागरिकों का प्रवेश :

क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विदेष मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन चयन किए गए विदेषी योग्य नागरिकों के प्रवेष पर संबंधित मंत्रालय की सिफारिष या प्रायोजकता मान्य होगी ।

ख) यदि उम्मीदवार संबंधित कार्यक्रम की पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा कर लेता है तो स्वतः वित्त पोषित विदेषी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जायेगा। प्रवेष से पहले इन उम्मीदवारों को विदेष मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी।

ग) इनकी सीटें उपलब्ध सीटों से अतिरिक्त होंगी।

8) आरक्षण :

राष्ट्रीय नियमानुसार, उपरोक्त आरक्षण सभी मास्टर्स कार्यक्रम में मान्य होगा।

क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, 15 प्रतिषत सीटें

ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, 7.5 प्रतिषत सीटें तथा

ग) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी, 27 प्रतिषत सीटें

स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 3 प्रतिषत सीटें, षारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी, जिसमें अधिक से अधिक दो अभ्यर्थी एक कार्यक्रम में दाखिल किए जा सकते है।

9) प्रवेश परीक्षा :

क) सभी मास्टर्स कार्यक्रम में दाखिला हेतु प्रवेष परीक्षा ली जायेगी।

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेष के लिए अलग से परीक्षा ली जायेगी।

ग) प्रवेष के इच्छुक छात्रों को प्रवेष परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा।

घ) विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा संस्थान की बेवसाइट पर प्रवेश के प्रकाशन के नोटिस के उपरांत निर्धारित फार्म सूचना विवरणिका के साथ ऑन लाइन उपलब्ध होगा।

10) प्रवेश मानदंड :

क) मास्टर्स कार्यक्रम :

i) दाखिला प्रवेष परीक्षा में मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

ii) मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन (फार्म) में दाखिला, प्रवेष परीक्षा तथा समूह चर्चा और साक्षात्कार निम्न वेटेज के आधार पर होगाः

प्रवेष परीक्षा में मेरिट —85 प्रतिषत
समूह चर्चा और साक्षात्कार —15 प्रतिषत

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम :

दाखिला निम्नलिखित वेटेज के आधार पर होगा :

प्रवेष परीक्षा में मेरिट —85 प्रतिषत
साक्षात्कार प्रदर्शन —15 प्रतिषत

प्रवेष के समय सभी उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में मेडिकल फिटनेस प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11) प्रवेश के लिए प्रक्रिया :

क) मास्टर्स कार्यक्रम :

i) पात्र उम्मीदवार को प्रवेष के समय स्वयं उपस्थित रहना होगा। उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार और/या समूह चर्चा जो लागू हो आव आवष्यक है ।

ii) उम्मीदवार की अनुपस्थिति में प्रेवष नहीं दिया जायेगा।

iii) प्रवेष के लिए चयनित आवेदकों की सूची को विभागीय सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर दर्षाया जायेगा।

iv) चयनित उम्मीदवारों के लिए आवष्यक हैं कि वह निर्धारित तारीख और समय पर फीस और अन्य शुल्क जमा करें।

v) भुगतान चण्डीगढ़/एस.ए.एस. नगर के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या काउंटर पर नकद, निदेषक, नाईपर के पक्ष में देय होगा।

vi) यदि उम्मीदवार अधिसूचित तारीख और समय तक फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट समाप्त हो जायेगी। सीट मेरिट लिस्ट में अगले उम्मीदवार को दी जायेगी।

vii) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थी को संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित अवधि के भीतर पंजीकरण करवाना होगा।

viii) यदि विद्यार्थी फीस का भुगतान करने के बाद दाखिला वापिस ले लेता है, तो उसे केवल सुरक्षा राषि ही लौटाई जायेगी।

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम :

i) दाखिला प्रवेष परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

ii) उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय स्वयं उपस्थित रहना होगा।

iii) उम्मीदवार की अनुपस्थिति में प्रवेष नहीं दिया जायेगा

iv) निर्धारित तारीख और समय पर फीस और अन्य शुल्क जमा करना आवष्यक होगा।

v) यदि उम्मीदवार अधिसूचित तारीख और समय आदि के भीतर फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट समाप्त हो जायेगी। सीट मेरिट लिस्ट के अगले उम्मीदवार को दी जायेगी।

vi) उम्मीदवार को पी.एच.डी. कार्यक्रम में दाखिले के समय अस्थायी रूप से खुद को पंजीकृत करना पड़ेगा ।

vii) जब छात्र सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा कर लेगा और विस्तृत परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, तो छात्र की अस्थाई पंजीकरण दाखिले की तिथि से स्थायी पंजीकरण माना जायेगा।

viii) यदि विद्यार्थी फीस का भुगतान करने के बाद दाखिला वापस ले लेता है, तो उसे केवल सुरक्षा राषि ही लौटाई जायेगी।

12) छात्र का वर्गीकरण :

संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेष के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा :

क) संस्थान का वित्त पोषित छात्र ,

ख) प्रायोजित छात्र,

i) विष्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित छात्र।

ii) सरकारी विभागों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों/लोक सेक्टर का उपक्रम/प्रतिष्ठित औषध उद्यम/विदेष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित छात्र।

13) अध्येतावृत्ति

क) सभी संस्थान के वित्त पोषित छात्र फैलोषिप के पात्र होंगे,

ख) फैलोषिप की राषि सीनेट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तो द्वारा शासित होगी,

ग) प्रत्येक मास्टर्स कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र को अधिक से अधिक चार सेमेस्टर के लिए फैलोषिप प्राप्त होगी। इसमें यदि कोई पिछला पंजीकरण है तो वह भी शामिल होगा।

घ) संस्थान का वित्त पोषित छात्र जिसने पी.एच.डी. के लिए पंजीकरण किया हैं उसको पॉच वर्ष से ज्यादा फैलोषिप प्रदान नहीं की जायेगी।

ड) किसी भी स्थिति में, यदि वित्त पोषित छात्र का व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका फैलोषिप रद्द कर दिया जायेगा। परन्तु कोई भी विपरीत कार्यवाही करने से पहले छात्र को अपना पक्ष रखने एक उचित अवसर दिया जायेगा।

च) संस्थान तीन एम.बी.ए. (फार्मा) के छात्रों को द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रथम सेमेस्टर में मेरिट के अनुसार छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

धारा 13 (च) के अनुसार यदि तीन से ज्यादा छात्र वित्तीय सहायता के योग्य पाये जाते हैं, वित्तीय सहायता का निर्णय जी.पी.ए. और दाखिले के मेरिट के अनुसार किया जायेगा। तथा अगले सेमेस्टर में फैलोषिप जी.पी.ए., सी.जी.पी.ए. और दााखिले के मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

14) पंजीकरण का नवीनीकरण :

क) यदि छात्र अनुसंधान समिति छात्र के पाठ्यक्रमों/क्रेडिट और/या अनुसंधान कार्य में प्रगति से संतुष्ट हैं तो ऐसे छात्र को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अनुमति दी जायेगी। मास्टर्स कार्यक्रम के छात्रों के लिए यह मूल्यांकन तीसरे व चौथे सेमेस्टर में होगा। पी.एच.डी. के छात्र का पंजीकरण विस्तृत परीक्षा के बाद हर साल किया जायेगा।

ख) हर छात्र सेमेस्टर के प्रारंभ मैं संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समय के अनुसार पंजीकरण का नवीनीकरण करवाएगा तथा छात्र को पंजीकरण के नवीनीकरण के समय फीस और अन्य शुल्क जमा करवाना होगा।

ग) पंजीकरण के नवीनीकरण के समय छात्र को हॉस्टल वार्डन और लेखा विभाग से 'नो डयूज़ प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

घ) यदि कोई विद्यार्थी तय समय–सीमा में अपना पंजीकरण का नवीनीकरण करने में असमर्थ रहता हैं तो सेमेस्टर के प्रारम्भ होने के 10 दिनों के बाद तक वास्तविक मामलों में संकायाध्यक्ष लेट फीस के संदाय पर विलंब नवीनीकरण को अनुमोदित कर सकता है।

ड) यदि कोई छात्र अधिसूचित तारीख से पंजीकरण का नवीनीकरण करवाने में असमर्थ होता है, तो उसे संस्थान का छात्र नहीं माना जायेगा।

15) पंजीकरण का निरस्तीकरण :

विद्यार्थी का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में निरस्त हो जायेगा :

क) यदि विद्यार्थी पूर्व सूचना के बिना या छुट्टी मंजूरी के बिना चार सप्ताह की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है,

ख) यदि विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में पंजीकरण करने में असफल रहता हैं,

ग) यदि विद्यार्थी परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है,

घ) यदि विद्यार्थी अवचार/अनुशासनहीनता के कार्य में अंतर्निहित पाया जाता है,

ड) यदि विद्यार्थी का शैक्षिक कार्य–निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है,

च) यदि छात्र अपने कार्यक्रम से त्यागपत्र देता है और उसका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया हो, ऐसे छात्र पर धारा (क) तथा (ड) लागू करने से पहले सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए,

16) उपस्थिति :

क) विद्यार्थी से सेमेस्टर के दौरान प्रत्येक व्याख्यान और व्यावहारिक कक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है। हालांकि छात्र को सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में भाग लेने के लिए आयोजित व्याख्यान और प्रत्येक पाठ्यक्रम की व्यावहारिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

ख) धारा 24 (ग) के तहत जहॉ छात्र पुनः परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसे अगले बैच के नियमित विद्यार्थियों के साथ कक्षाओं में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति उपरोक्त (क) के अनुसार होगी।

ग) धारा 24 (ख) के तहत पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी विद्यार्थी से कक्षाओं में उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

17) अवकाश :

क) चार सेमेस्टर पाठ्यक्रम के दौरान, सामान्य अवकाष के अलावा, मास्टर्स छात्र 45 दिनों के अवकाष का पात्र होगा।

ख) पी.एच.डी. छात्र एक वर्ष में सामान्य छुट्टी के अलावा, 30 दिनों के अवकाष का पात्र होगा।

ग) संकायाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन पर छात्र को शैक्षिक बैठकों, प्रषिक्षण, सेमिनारों या अधिवेषनों में उपस्थित होने के लिए अवकाष की मंजूरी छात्रवृत्ति सहित दी जायेगी।

घ) छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाला छात्र किसी भी प्रकार की छुट्टियॉ जैसे गर्मी या सर्दी की छुट्टियॉ आदि का पात्र नहीं होगा।

ड) छात्र उपरोक्त (क) के अतिरिक्त 10 दिनों के मेडिकल अवकाष का पात्र होगा।

च) महिला विद्यार्थी अपनी कालअवधि के दौरान छात्रवृत्ति सहित एक बार तीस दिनों के अवकाष के अतिरिक्त, तीन माह की प्रसूति अवकाष की भी पात्र होगी।

छ) किसी भी प्रकार की छुट्टी सलाहकार की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

ज) समस्त विभाग प्रत्येक विद्यार्थी के अवकाष का लेखा रखेगा।

झ) पी.एच.डी. छात्र जो प्रायोजित श्रेणियों से हैं (सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी./डी.एस.टी./आई.सी.एम.आर./डी.बी.टी. आदि) को वित्तीय सहायता फंडिंग एजेंसियों के नियमों के तहत दी जायेगी।

18) पाठ्यक्रम कार्य और मूल्यांकन :

क) पाठ्यक्रम कार्य :

i) संस्थान में अध्ययन कार्यक्रम क्रेडिट प्रणाली पर आयोजित होगा।

ii) प्रत्येक कार्यक्रम में एक विशेष संख्या क्रेडिट होगी जो उसकी वेटेज को वर्णित करेगा।

iii) छात्र द्वारा अर्जित किए हुए क्रेडिट, छात्र के प्रदर्शन को बताएंगे।

iv) प्रत्येक कोर्स के लिए, एक संकाय सदस्य पाठ्यक्रम समन्वयक का कार्य करेगा।

v) कोर्स समन्वयक के पास पाठ्यक्रम को संचालित करना, उस पाठ्यक्रम में अंतर्निहित संकाय के अन्य सदस्यों के कार्य का समन्वय करना और परीक्षा कराने और समनुदेषन ग्रेड अधिनिर्णीत करने का पूरा उत्तरदायित्व होगा।

vi) डिग्री में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम संचयी औसत श्रेणी बिन्दु अपेक्षित होगा।

vii) छात्र को उस कोर्स से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में पाठ्यक्रम समन्वयक से संपर्क करना होगा। सलाहकार और पाठ्यक्रम समन्वयक की सहमति की सिफारिष पर, पी.एच.डी. छात्र को कोर्स को जोड़ने या हटाने की अनमुति दी जा सकती है।

ख) मूल्यांकन :

i) विद्यार्थी के लिए दो लिखित परीक्षा, एक प्रथम मध्यावधि परीक्षा और अन्य अंतिम सेमेस्टर परीक्षा हर एक थेरी कोर्स के लिए अनिवार्य होगा। इन कोर्सो के लिए 20 प्रतिषत अंक मध्य अवधि परीक्षा के लिए तथा 20 प्रतिषत अंक आंतरिक मूल्यांकन और 60 प्रतिषत अंक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित किये गये है।

ii) छात्र के प्रयोगषाला कार्य, कार्यषालाओं और होम असाइटमेंट के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

iii) छात्र को मध्य और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, प्रयोगषाला कार्य, कार्यषाला कार्य और होम असाइटमेंट के आधार पर ग्रेड दिया जायेगा।

iv) पाठ्यक्रम सेमेस्टर में ऐसे कोर्स के दौरान हर सप्ताह में एक व्याख्यान दिया जायेगा, उस व्याख्यान को एक क्रेडिट दिया जायेगा। हालांकि कुछ पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीन क्रेडिट दिये जा सकते है।
v) जहॉ किसी पाठ्यक्रम के लिए तीन क्रेडिटों से अधिक वाले पाठ्यक्रम की आवष्यकता है, वहॉ अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
vi) जहॉ प्रयोगषाला और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के लिए साधारण रूप से प्रत्येक सप्ताह में पांच घण्टों का एक सत्र होगा, उस कोर्स का एक क्रेडिट होगा। इसको परिवर्तित करने के लिए, अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
vii) जहॉ छात्र किसी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे 'एफ' ग्रेड दिया जायेगा।

19) ग्रेडिंग प्रणाली :

अक्षर ग्रेड और उनके समतुल्य श्रेणीबिंदु नीचे सारणी में दषार्ये गये है।

अक्षर श्रेणी	श्रेणीबिंदु	कार्यपालन
ए	10	विशिष्ट
ए (–)	9	उत्कृष्ट
बी	8	अति उत्तम
बी (–)	7	उत्तम
सी	6	औसत
सी (–)	5	औसत से कम
डी	4	सीमांत
ई	2	अपकृष्ट
एफ	0	अति अपकृष्ट / अनुपस्थित / कम उपस्थिति
आई	–	अक्षम
एन	–	संपरीक्षा उत्तीर्ण
एनई .	–	संपरीक्षा अनुतीर्ण
डब्लू	–	हटना
एक्स	–	जारी रहना (केवल बड़ी परियोजना के लिए)
एस	–	समाधान रूप से पूरा होना
जैड	–	पूरा न होना

श्रेणीबिंदु औसत (जी.पी.ए.) = (क्रेडिटों की संख्या X प्वाइंट श्रेणी) / क्रेडिट
श्रेणीबिंदु औसत की संगणना करने के लिए केवल वे पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत उन प्रयोजनाओं को हिसाब में लिया जायेगा जिनमें विद्यार्थी को ए, बी, सी, या डी ग्रेड की श्रेणी मिली।

20) आई–श्रेणी :

क) जहां छात्र ने व्याख्यान / टयूटोरियल / या प्रयोगषाला की कक्षाओं में 50 प्रतिषत से अधिक लेकिन 75 प्रतिषत से कम उपथिति दर्ज की है, तथा कोर्स की योग्यताओं को पूरा करने में बीमारी की वजह से, दुर्घटना / किसी अनहोनी की वजह से या अन्य किसी जरूरी कारणवष वो सेमेस्टर की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर पाया है तो छात्र को आई ग्रेड के लिए अपने कोर्स समन्वयक को एक आवेदन देना पडेगा। बीमारी के कारण के लिए आवेदन पत्र के साथ संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र भी संलग्न करना पडेगा। परन्तु अगर छात्र संस्थान के बाहर बीमार हुआ है तो चिकित्सा प्रमाणपत्र उनको चिकित्सा अधिकारी जिसका ओहदा जिले के उप चिकित्सा अधिकारी से कम नहीं है से प्रमाणित होना अनिवार्य है।

यदि संबंधित पाठ्यक्र समन्वयक केस की परिस्थितियों को सही मानता हैं, तब उपरोक्त को अपना उपस्थिति रिकार्ड प्रमाणित करवाना होगा तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष इस केस को संकायाध्यक्ष के पास छात्र को 'आई' ग्रेड दिलवाने की सिफारिश करेगा।
ख) यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिषत से अधिक हैं लेकिन वह किसी बीमारी या दुघर्टना या किसी अनहोनी या किसी जरूरी कार्य के कारण वह अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो छात्र को 'आई ग्रेड' की श्रेणी के लिए आवेदन देगा। बीमारी के कारण के लिए आवेदन पत्र के साथ संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र भी संलग्न करना पडेगा। जैसा उपरोक्त (क) के अनुसार दिया हो तथा पाठ्यक्रम समन्वयक मामले के तथ्यों से संतुष्ट है, यदि छात्र का आवेदन कोर्स समन्वयक द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित हैं तो उसे विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
ग) संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त, छात्र को 'आई ग्रेड' दिलवाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति सीनेट को पुष्टि के लिए दी जाएगी।
घ) यदि किसी विद्यार्थी को आई ग्रेड दिया गया हैं तो वह मध्यावधि परीक्षा के समाप्त होने के बाद 10 दिनों की अवधि में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ सकता है और छात्र को सामान्य श्रेणी दी जाएगी।

21) लेखा परीक्षा कोर्स :
यदि छात्र पंजीकृत कार्यक्रमों के अलावा किसी अन्य विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हैं तो इस संबंध में उसको समन्वयक और सलाहकार की अनुमति लेनी होगी। यदि पाठ्यक्रम समन्वयक को लगता हैं कि छात्र को उक्त विषय की जरूरत हैं तो वह इसके लिए संस्थान से उक्त कोर्स करवाने की सिफारिष करेगा। 75 प्रतिषत उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा और छात्र को इसके लिए 'एन' और 'एन ई' ग्रेड दिया जायेगा।

22) डब्लू—श्रेणी :
क) यदि छात्र अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में किसी कारणवष असमर्थ हैं जो उसके वष में नहीं हैं, ऐसे छात्र को कोर्सेज छोड़ने के लिए संकायाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी।
ख) यदि संकायाध्यक्ष मामले से संतुष्ट हैं तो वह ग्रान्ट की वापसी की अनुमति के लिए निदेषक से मामले की सिफारिष करेगा।
ग) निदेषक इस तरह के पाठ्यक्रमों से छात्रों को हटने के लिए अनुमति दे सकता है। इस तरह के छात्र को 'डब्लू ग्रेड' में रखा जायेगा।
घ) आहरण की प्रक्रिया मास्टर्स शोध प्रोजेक्ट के लिए लागू नहीं होगी।
ड) छात्रों को जिन कोर्सों का प्रस्ताव दिया जा रहा हैं, छात्रों को वे सभी प्रकार से पाठ्यक्रम पूरा करना पडेगा।
च) यदि छात्र सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम की आवष्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे नियमित ग्रेड से सम्मानित किया जायेगा।

23) एक्स—श्रेणी :
क) यदि छात्र बीमारी, उपकरण की अनुपलब्धता या सलाहकार के कारणों से मास्टर्स षोध प्रोजेक्ट को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो सलाहकार विभाग प्रमुख से सलाह करने के उपरान्त, विभागाध्यक्ष ऐसे छात्र को 'एक्स' ग्रेड देने के लिए संकायाध्यक्ष से सिफारिष करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त छात्र को 'एक्स' ग्रेड दिया जायेगा। और
ख) उपरोक्त (क) के अनुसार यदि छात्र परियोजना का कार्य छह माह के भीतर पूरा कर लेता तो उसके कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा और छात्र को नियमित ग्रेड दिया जायेगा।

24) परीक्षा की पुनरावृत्ति :
क) निम्मलिखित कारणों पर छात्र को परीक्षा की पुनरावृत्ति की अनुमति दी जायेगी।
ख) जहां पर छात्र दो या कम कोर्सेज में 'ई' या 'एफ' या दोनों ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा की पुनरावृत्ति करनी होगी। यह परीक्षा मध्यवर्ती परीक्षा के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर होगी।

ग) जहां पर छात्र को किसी भी थ्योरी कोर्स में 'ई' या 'एफ' नहीं मिलता लेकिन उसका संचयी ग्रेड बिंदु औसत 6.00 से कम है तो उसे ग्रेड सुधार के लिए अधिकतम दो कोर्स की परीक्षा पुनरावृत्ति का मौका दिया जायेगा।
घ) जहां छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिषत या उससे ज्यादा हैं और आई श्रेणी में दिए गए कारणों की वजह से यदि वह परीक्षा देने में असमर्थ है तो छात्र को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, जब कभी भी वैसी परीक्षा संचालित की जाएगी तब छात्र का उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। छात्र को दुबारा कक्षा में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी और अग्रिम सेमेस्टर में उसका पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा।
ड.) यदि छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिषत से कम हैं और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो जब भी वह कोर्स संचालित किया जाएगा तो वह अपने कोर्स की पुनरावृत्ति करनी पडेगीं।
च) यदि किसी छात्र को किसी दो कोर्सों में जो किसी भी सेमेस्टर का हो अगर उसे 'एफ' ग्रेड मिलता हैं तो उसे अपने अध्ययन से हटना होगा और संस्थान को अधिकार होगा कि उसकी छात्रवृत्ति को समाप्त कर दे।
छ) यदि कोई छात्र अपने सामूहिक औसत ग्रेड अंक में सुधार करना चाहता हैं तो उसे उस सेमेस्टर में दो से ज्यादा थयोरी कोर्स में अंक सुधारने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
ज) पुनरावृत्ति परीक्षा में दिया गया ग्रेड ही अंतिम ग्रेड होगा।
झ) ग्रेड सुधार परीक्षा से प्राप्त अंक को पुरस्कार सूची में निर्दिष्ट किया जायेगा।
ञ) ग्रेड सुधार परीक्षा के छात्र मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे छात्रों को मेरिट सूची में स्थान दिया जाएगा जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की हैं

25) मास्टर डिग्री के लिए पात्रता मानदंड :

क) फार्मेसी में मास्टर्स / प्रौद्योगिकी में मास्टर्स (फार्म.) / साइंस में मास्टर्स (फार्म) :

i) मास्टर्स डिग्री के लिए न्यूनतम 50 क्रेडिट आवष्यक हैं। इसमें से 30 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य और 20 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए निर्धारित किये गये है।
ii) फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स कार्यक्रम में मास्टर्स डिग्री के लिए न्यूनतम 50 क्रेडिट पूरा करना अनिवार्य होगा। इसमें से 36 क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिर्ए और 14 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए निर्धारित किये गये है।

ख) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म):

i) मास्टर्स डिग्री के लिए न्यूनतम 100 क्रेडिट पूरे करने होंगे। जिसमें से 86 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य, 12 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए तथा 2 क्रेडिट ग्रीष्मकालीन प्रषिक्षण के लिए निर्धारित किये गये है।
ii) न्यूनतम संचयी ग्रेड बिंदु औसत 6.00 आवश्यक हैं।
iii) यदि पुनरावृत्ति परीक्षाओं की अधिकतम संख्या का लाभ उठाने के बाद छात्र पाठ्यक्रम पास करने में असमर्थ रहता है या न्यूनतम सामूहिक औसत अंक अर्जित करने में विफल रहता है तो छात्र को अपना कार्यक्रम बंद करना पडेगा।
iv) छात्र द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद और अनुसंधान कार्य के सफल समापन पर छात्र शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा।
v) शोध कार्य का मूल्यांकन और डिफेंस की परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के उपरांत छात्र डिग्री प्राप्त करने का पात्र होगा।
vi) मास्टर्स कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि कार्यक्रम में षामिल होने की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

26) पी.एच.डी. डिग्री के लिए पात्रता मानदंड :
क) जिन छात्रों ने संस्थान से एम.एस. (फार्म) की डिग्री प्राप्त की है उनको न्यूनतम 12 डॉक्टरल कोर्सेज पूरा करने की आवष्यकता है।
ख) जिन छात्रों ने अन्य संस्थानों से अपनी डिग्री प्राप्त की है उन छात्रों को न्यूनतम 28 क्रेडिट पूरे करने पडेगे जिसमें से 16 क्रेडिट विषेषज्ञता और षेष 12 डाक्टरल कोर्सेज पूरे करने की आवष्यकता है।

ग) जिन छात्रों ने पहले ही समान कोर्स में मास्टर्स डिग्री में विशिष्टता ले रखी है, तथा नाईपर और डेक द्वारा पूर्व संस्थान से पूरी तरह से मूल्यांकित करने के बाद, उन छात्रों को कुछ विषिष्ट पाठ्यक्रमों में छूट प्रदान की जायेगी।
घ) छात्रों को न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड अंक 6.50 प्राप्त करना होगा।
ड.) यदि सामूहिक औसत ग्रेड अंक 6.00 और 6.50 के बीच हो तो छात्र को सामूहिक औसत ग्रेड अंक 6.50 को प्राप्त करने के लिए अधिक पाठ्यकमों को लेना होगा,
च) यदि छात्र सामूहिक औसत ग्रेड अंक 6.00 से कम प्राप्त करता हैं तो उसे यह पाठ्यक्रम छोडना होगा।
छ) यदि छात्र थयोरी पाठ्यक्रम की आवष्यकताओं को पूरा करता हैं तो उसे विस्तार परीक्षा में बैठना होगा।
ज) छात्र को विस्तार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो मौके दिये जायेगे बषर्ते दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में नहीं होने चाहिए।
झ) जब छात्र सफलतापूर्वक विस्तार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाये, तो उसका अस्थाई पी.एच.डी. पंजीकरण स्थाई माना जायेगा।
ञ) पंजीकरण की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर भी किन्हीं विशिष्ट मामलों में पंजीकरण की अवधि दो वर्ष होगी।
ट) शोध के सफलतापूर्वक समापन पर, छात्र अपना निबंध षोध जमा करवाएगा।
ठ) शोध कार्य के मूल्यांकन तथा डिफेंस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर, छात्र डिग्री प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

27) समितियॉ :

ष्षैक्षणिक प्रषासन हेतु निम्नलिखित समितियां गठित की जायेगी :—

क) छात्र एवं अनुसंधान बोर्ड

बोर्ड नये पाठ्यक्रम आरंभ एवं संषोधन करने के लिए विचार एवं सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड छात्रों से संबंधित प्रवेष, पाठ्यक्रमों का संचालन, जांच/मूल्यांकन प्रक्रिया एवं छात्र अनुसंधान समिति द्वारा की गई सिफारिषों की देख—रेख करेगा। जहां कहीं आवष्यक हो, संकाय सदस्यों/विषेषज्ञों की राय लेने के लिए सदस्यों/विषेषज्ञों की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक हेतु विषेष संकाय सदस्य अतिथि के रूप में बुलाये जायेगें। बोर्ड का गठन इस प्रकार होगाः—

i) संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष
ii) विभागाध्यक्ष — सदस्य
iii) तीन विषेषज्ञ क्रमषः जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं औषधि विज्ञान से संबंधित हो — सदस्य
iv) उपकुलसचिव (षै. एवं परी.) — गैर सदस्य सचिव

ख) विभागीय शैक्षणिक सलाहकार समिति

सलाहकार समिति विभाग द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों एवं उनमें नये पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज को आगे विचार करने के लिए सुझाव प्रेषित करेगा। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

i) विभागाध्यक्ष — अध्यक्ष
ii) संबंधित विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग से एक संकाय सदस्य, संकायाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा
iii) इस सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, एवं —सदस्य
iv) विभाग द्वारा नामित दो बाहरी विषेषज्ञ — सदस्य

ग) छात्र अनुसंधान समिति

यह समिति छात्रों के षैक्षणिक क्रियाकलापों की निगरानी करेगी। साथ ही छात्रों के अनुसंधान कार्यो की निगरानी एवं मूल्याकंन भी करेगा। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

i) सलाहकार — अध्यक्ष

ii) विभागाध्यक्ष – सदस्य
iii) विभाग से इस क्षेत्र में एक विषेषज्ञ – सदस्य
iv) अन्य विभाग से एक संबंधित संकाय सदंस्य, संकायाध्यक्ष द्वारा नामित – सदस्य
विभागाध्यक्ष प्रमुख सलाहकार हैं तथा संबंधित विभाग के अन्य संकाय सदस्य, सदस्य होंगे। संकायाध्यक्ष समिति गठित हेतु इस प्रकार सूचित करेगा (क) जैसे समिति के लिए (ख), (ग) संबंधित विभागाध्यक्ष इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा।
तीन चौथाई सदस्य अधिसूचित समिति का गठन करेंगे।

28) अनुसंधान प्रस्ताव एवं विस्तार परीक्षाः

क) जब पी.एच.डी. छात्र द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया जायेगा वह एक अनुसंधान प्रस्ताव छात्र अनुसंधान समिति को प्रस्तुत करेगा। छात्र समिति के समक्ष अपनी योग्यता प्रदर्षित करने हेतु अनुसंधान प्रस्ताव पेष करना होगा। इस प्रयोजन हेतु छात्रों को यह सुनिष्चित करना होगा कि छात्र अनुसंधान समिति के सम्मुख एक विस्तार मौखिक परीक्षा देंगे। छात्र अनुसंधान समिति उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे।

ख) जब समिति छात्र का मूल्यांकन करेगी तो निम्नलिखित सिफारिषें देनी होगी :–
i) छात्र ने विस्तार परीक्षा पास कर ली हैं तथा अनुसंधान प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।
ii) छात्र एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम ग्रहण करेगा तथा विषेष समय–सीमा के अंदर पुनः परीक्षा में बैटेगा।
iii) छात्र अनुसंधान समिति द्वारा दिये गये सुझावों को छात्र द्वारा संषोधन करने के पष्चात् पुनः छात्र द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव, छात्र अनुसंधान समिति के समक्ष निर्धारित समय अवधि में पुनः षोध कार्य के प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।

ग) जब छात्र का परिणाम ख (2) एवं ख (3) या दोनों जो भी लागू हो तत्पष्चात् छात्र को पुनः विस्तार परीक्षा में बैठना होगा।
घ) छात्र द्वारा विस्तार परीक्षा अधिकतम दो प्रयासों में छठवें सेमेस्टर के प्रारम्भ होने से पहले पास करनी होगी। प्रदान किये गये दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में नहीं होने चाहिए।
ड.) यदि छात्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर परीक्षा पास नहीं करता है तो उसे अपनी निर्धारित समय–सीमा बढानें हेतु छात्र अनुसंधान समिति को लिखित में देना होगा।
च) छात्र अनुसंधान समिति अधिकतम छह माह के लिए समय विस्तार करेगी इस हेतु संकायाध्यक्ष को सूचित करेंगे। इसके लिए छात्र को केवल एक अतिरिक्त मौका दिया जायेगा जैसा कि उपरोक्त (घ) में निहित है कि विस्तार परीक्षा को बढी हुई अवधि में कैसे पास किया जाए।
छ) जैसा कि छात्र विस्तारित समय अवधि में भी परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उसका/उसकी पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

29) सलाहकार :
क) प्रवेष के चार सप्ताह के अंदर विभागाध्यक्ष, विभाग के संकाय सदस्यों के साथ विचार विमर्ष करने के पश्चात् छात्रों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र का चयन संकाय सदस्य के साथ करेगा।
ख) सलाहकार पूर्ण समय के लिए संस्थान का एक संकाय सदस्य होगा।
ग) जहॉ संयुक्त सलाहकार नियुक्त किया जाना आवष्यक होगा, सलाहकार इसका प्रस्ताव संकायाध्यक्ष को भेजेगा। वह इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन हेतु अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। दो से अधिक संयुक्त सलाहकार संस्थान से या बाहर से नियुक्त नहीं होने चाहिए।
घ) यदि आवष्यक हो तो संयुक्त सलाहकार की नियुक्ति अस्थाई पंजीकरण के 18 माह के भीतर होनी चाहिए।
ड.) छात्रों के लिए संस्थान से दो से अधिक सलाहकार चयनित नहीं होने चाहिए अगर एक वर्ष या अधिक समय अवधि के लिए सलाहकार उपलब्ध नहीं होंगे तो उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
च) मास्टर्स छात्रों के लिए सलाहकार उनके प्रवेष के चार सप्ताह के अंदर नियुक्त किया जायेगा।
छ) सारांष अनुमोदन से पहले सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु/बहुत समय से संस्थान से अनुपस्थिति के कारण यदि सलाहकार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे छात्रों हेतु नये सलाहकार की नियुक्ति की जायेगी।
सरांष अनुमोदन के पष्चात् यदि उपरोक्त परिस्थितियॉ उत्पन्न होती हैं तो अनुसंधान कार्य मूल रूप में नियुक्त सलाहकार द्वारा ही पूर्ण माना जायेगा। शेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा, संकायाध्यक्ष

एवं निदेषक की सहमति से एक प्रषासनिक सलाहकार नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त प्रमुख सलाहकार मौखिक डिफेंस समिति के समक्ष आमंत्रित किया जायेगा, परंतु यदि कारणवष वह आमंत्रण अस्वीकार करता है, तो प्रषासनिक सलाहकार एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
प्रषासनिक आवष्यकताओं के अर्न्तगत विषेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष एवं निदेषक संतुष्टि एवं संस्तुति के पष्चात् विभिन्न सलाहकारों के अधीन पी.एच.डी. के छात्रों को पुनः आवंटित किया जायेगा। परिवर्तन केवल संबंधित पाठ्यक्रम में ही किया जायेगा।

30) प्रगति पर निगरानी :

क) सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक छात्र अपने सलाहकार को अपने पाठ्यक्रम, अनुसंधान से संबंधित कार्य की प्रगति रिपोर्ट मौखिक परीक्षा के समय प्रस्तुत करेगा/करेगी। उसकी प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने हेतु सलाहकार छात्र अनुसंधान समिति की बैठक यथाषीघ्र बुलायेगा।
ख) प्रगति रिपोर्ट का आंकलन करने के बाद छात्र अनुसंधान समिति निम्न में से एक की सिफारिष करेगी :
i) पंजीकरण जारी रहेगा,
ii) पंजीकरण की निरंतरता सुझाव सुधार के समावेश के अधीन है, तथा
iii) पंजीकरण का निरस्तीकरण

31) निबंध/शोध की तैयारी/प्रस्तुतीकरणः

क) मास्टर्स कार्यक्रम

i) जहां छात्र ने अपना परियोजना कार्य पूरा कर लिया है, वह फाईल कवर में सुरक्षित तरीके से, अपने अबाध शोध कार्य को, छात्र रिसर्च समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और,
ii) जहां छात्र रिसर्च समिति कार्य को मंजूरी दे देती है, वहां छात्र संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में षोध कार्य को तैयार करेगा तथा नियत तारीख तक हार्ड बाउंड निबंध षोध (थीसिस) की चार प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम

i) जहां छात्र ने अपना परियोजना कार्य पूरा कर लिया है, वह अपना कार्य छात्र रिसर्च समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा,
ii) जहॉ छात्र रिसर्च समिति अनुसंधान कार्य को मंजूरी दे देती है, वह छात्र अनुसंधान समिति के सलाहकार के माध्यम से, पूर्ण कार्य का, पूरा सार प्रस्तुत करेगा,
iii) जहॉ छात्र रिसर्च समिति सारांष को मंजूरी दे देती है, तो छात्र को मंजूरी की तारीख से छह महीने के भीतर थीसिस प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष की सिफारिष और निदेषक की मंजूरी पर इसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।
iv) छात्र अपने थीसिस की चार प्रतियॉ सुरक्षित तरीके से फाईल कवर में जमा करवाएगा।
पी.एच.डी. छात्र को पंजीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर थीसिस जमा करवाना अनिवार्य होगा। अध्ययन तथा रिसर्च बोर्ड के अनुमोदन पर इसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

32) परीक्षकों का पैनलः

क) एम.एस. (फार्म.)/ एम. फार्म/एम.टैक (फार्म.)/एम.बी.ए. (फार्म)

शोध प्रबंध के लिए छात्र रिसर्च समिति के सदस्य ही परीक्षकों का पैनल होगा।

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम

i) सलाहकार छात्र रिसर्च समिति के साथ परामर्ष कर हर डॉक्टरेट छात्र के लिए संकायाध्यक्ष को छह विषेषज्ञों के एक पैनल की सिफारिष करेगा। इनमें से तीन विषेषज्ञ विदेष से होंगे, और
ii) जब छात्र पी.एच.डी. थीसिस प्रस्तुत करेंगे, संकायाध्यक्ष थीसिस के मूल्यांकन के लिए पैनल से बाहर दो विषेषज्ञों को मनोनीत करेंगे। इनमें से एक विषेषज्ञ विदेष से होगा।

33) निबंध/शोध का मूल्यांकनः–

क) मास्टर्स शोधः
मास्टर्स षोध छात्र अनुसंधान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

ख) पी.एच.डी. थीसिसः
i) पी.एच.डी. थीसिस का दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें से एक परीक्षक विदेष से होगा,
ii) बाहय परीक्षक से थीसिस का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया जाएगा तथा मूल्यांकन रिपोर्ट को संकायाध्यक्ष के पास निर्धारित अवधि के भीतर भेजा जाएगा,
iii) जहां बाहय परीक्षकों के बीच मतभेद होगा, वहॉ संकायाध्यक्ष, थीसिस के मूल्यांकन के लिए किसी तीसरे परीक्षक की नियुक्ति करेगा,
iv) जहां बाहय परीक्षक पी.एच.डी. थीसिस को अनुमोदित कर देते हैं, वहॉ मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। जहां बाहय परीक्षक पुनः प्रस्तुत करने की सिफारिष करते हैं, वहॉ संषोधन की असीमित संख्या के बावजूद थीसिस को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

34) शोध कार्य /थीसिस का डिफेंस

क) मास्टर्स कार्यक्रमः
i) जहां छात्र को षोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे दी गई है, वहां उसे अपने षोध कार्य को डिफेंड करने के लिए निर्धारित तिथि पर मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
ii) परीक्षा के लिए छात्र अनुसंधान समिति परीक्षकों का बोर्ड होगा,
iii) बोर्ड संकायाध्यक्ष को इस मौखिक परीक्षा के परिणाम के बारे में बताएगी कि छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या छात्र को कुछ संषोधन कर शामिल करने की आवश्यकता है या छात्र को दोबारा किसी बाद की तारीख पर मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा,
iv) जहां छात्र को कुछ संषोधन कर शामिल करने के लिए कहा गया है और उसके द्वारा यह कर दिया गया है, तो इसके बारे में सलाहकार के माध्यम से बोर्ड के ध्यान में लाया जाएगा। बोर्ड के इस निर्देष से संतुष्ट होने पर, बोर्ड संकायाध्यक्ष को छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जानकारी देगा तथा
v) जहॉ छात्र फिर से बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होता है तथा सफलतापूर्वक अपने शोध प्रबंध को डिफेंड करता है, बोर्ड संकायाध्यक्ष को छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जानकारी देगा।

ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम
i) जहॉ छात्र के थीसिस को स्वीकार कर लिया गया है, वहां उसे अपने थीसिस को डिफेंड करने के लिए परीक्षकों के बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा ,
ii) मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षकों के बोर्ड में निम्नलिखित षामिल होंगेः संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होंगे, दो बाहरी परीक्षकों में से एक, एक सलाहकार, विभागाध्यक्ष तथा यदि विभागाध्यक्ष सलाहकार है तो, विभाग से एक संकाय सदस्य। जहां संकायाध्यक्ष सलाहकार है, वहॉ निदेषक या उनके द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य अध्यक्ष होगा। बाहरी परीक्षकों में से किसी एक की अनुपलब्धता के अभाव में, संकायाध्यक्ष धारा 32(2) (2) में वर्णित परीक्षकों के पैनल में से किसी अन्य बेहतर परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।
iii) समिति संकायाध्यक्ष को परीक्षा का परिणाम जमा करवाएगी कि छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या छात्र को कुछ संषोधन कर षामिल करने की आवश्यकता है या छात्र को दोबारा किसी बाद की तारीख पर मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा या छात्र डिग्री के लायक नहीं है।
iv) जहां छात्र को परीक्षकों के बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित करने की सलाह दी गई है, उसे सलाहकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। प्रस्तावित सुझावों को सम्मिलित करने से संतुष्ट होने के उपरांत, सलाहकार इसके बारे में संकायाध्यक्ष को जानकारी देगा और,
v) जहां छात्र को परीक्षकों के बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए पुनः उपस्थित होना है, तथा वह अपने थीसिस को सफलतापूर्वक डिफेंड करता है, तो बोर्ड छात्र के पास होने की जानकारी के बारे में संकायाध्यक्ष को बताएगा।

छात्र को अपने षोध/थीसिस की तीन प्रतियॉ जमा करवाने पर परीक्षा उत्तीर्ण का एक अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

35) डिग्री की प्रस्तुति :–

जहॉ छात्र नेः

क) अदेयता प्रमाणपत्र जमा करवाया हो,

ख) मौखिक परीक्षा पास की हो, और,

ख) षोध प्रबंध की तीन प्रतियां जमा करवाई हों, सीनेट डिग्री के लिए षासी मंडल को सिफारिष करेगा।

36) पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चः–

अनुसंधान कार्य के लिए पोस्ट डॉक्टोरल षोधकर्ता को कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के साथ संबद्ध किया जाएगा।

37) पाठयक्रम का विकासः

क) वैष्वीकरण के कारण गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की मांग कई गुना बढ़ गई है। पाठयक्रम में अद्यतन और सुधार आवष्यक हो गया है। गुणवत्ता षिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए, संस्थान लगातार पाठयक्रम में संषोधन करने का प्रयास करता रहेगा,

ख) संस्थान उद्योगजगत के साथ निरंतर बातचीत करता रहता है। उद्योगजगत के अनुभवी लोगो को फलदायक औद्योगिक बातचीत से पाठयक्रम विकास के लिए संस्थान के साथ संबधित किया गया है,

ग) वैष्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को और प्रभावी बनाना और

घ) संस्थान एक गतिषील पाठयक्रम विकसित करने के लिए प्रभावी षिक्षण से संबंधित सभी आधुनिक तकनीकों को अपनाएगा।

38) प्रशिक्षण और सतत शिक्षा कार्यक्रमः

अनुसंधान के क्षेत्र में हाल की गतिविधियों के बारे में फार्मास्यूटिकल्स के अद्यतन और अपनी प्रतिबद्वताओं को पूरा करने के लिए, संस्थान निम्नानुसार, समय–समय पर, लघु अवधि के पाठयक्रम का आयोजन करेगाः–

क) फार्मास्यूटिकल उद्योग के साथ संबद्वित व्यक्तियों के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम/कार्यषालाओं का आयोजन, तथा

ख) कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल उद्योग के साथ संबधित व्यक्तियों के लिए पुनष्चर्या पाठयक्रम, समर स्कूल तथा सेमिनार का आयोजन।

39) छात्रावास आवासः–

सभी छात्र छात्रावास आवास के लिए पात्र हैं तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवास के लिए षुल्क समय–समय पर सीनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

40) सामान्यः

क) इस अध्यादेष में निहित अन्य कुछ नहीं होने के बावजूद सभी श्रेणी के छात्र सीनेट द्वारा समय– समय पर लागू नियमों और प्रक्रिया द्वारा अधिषासित होंगे।

ख) इस अध्यादेष की व्याख्या के बारे में कोई संदेह या विवाद की स्थिति में, सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

नोटः– ये दस्तावेज़ अंग्रेजी में लिखे गये अनुमोदित अधिनियम का अनुवाद है। ''यदि व्याख्या करने में'' या ''भाषा को प्रस्तुत करने में'' या ''अनुवाद में'' कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो अंग्रेजी में दिये गये अधिनियम की व्याख्या ही सही मानी जायेगी।

प्रो. के. के. भूटानी, निदेषक (कार्यवाहक)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/302–ए/13]

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH (NIPER), S.A.S. NAGAR

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2014

G.S.R. 406.—In pursuance of Sections 28 and 29 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Senate of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research hereby amends Ordinance 2005, regulating the Programmes offered by the Institute relating to the Degree of Masters' Program and Degree of Doctor of Philosophy, admission to these programmes, procedure for admission, fee to be paid by student, fellowship, method of evaluation, semester registration, attendance requirement, leave, course work, establishment of various committees, Board of examiners, and award of Degrees, and directs that amended Ordinance shall come into force with effect from the date of its publication, namely:—

1) Short Title and Commencement:

a) This Ordinance may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Degree of Masters and Doctor of Philosophy) amended Ordinance, 2014.

b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2) Definitions:

a) ***Advisor*—**means a faculty member of the Institute appointed to look after the student research work;

b) ***Advisory Committee*—**means the Department Academic Advisory Committee;

c) ***Board-*** means Board of Examiners.

d) ***Board of Studies and Research*—**means the Board of Studies and Research of the Institute;

e) ***B.E. or B.Tech.*—**means degree in Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology, respectively;

f) ***B.Pharm.*—**means degree in Bachelor of Pharmacy;

g) ***B.V.Sc.*—**means degree in Bachelor of Veterinary Sciences;

h) ***B.A.M.S.*—**means Bachelor of Ayurvedic Medicines and Surgery;

i) ***Candidate.*** —means an individual applying for admission to any of the academic programmes of the Institute;

j) ***CGPA-*** means Cumulative Grade Point Average;

k) ***Course work.*—**means courses of study designed and offered by the department concerned to be undertaken by a student;

l) ***Degree.*—**means the Master of Pharmacy (M.Pharm.), Master of Technology in Pharmacy [M.Tech. (Pharm.)], Master of Science (Pharmaceutical Sciences) [M.S. (Pharm.)], Master of Business Administration (Pharm.) [M.B.A.(Pharm.)] and Doctor of Philosophy (Ph.D.), whichever is applicable;

m) ***DAAC.*—**means Department Academic Advisory Committee;

n) ***GPAT.*—**means Graduate Pharmacy Aptitude Test (Conducted by AICTE);

o) ***GATE.*—**means the Graduate Aptitude Test in Engineering conducted by Indian Institutes of Technology;

p) ***Institut.*—** means the National Institute of Pharmaceutical Education and Research at S.A.S. Nagar, Punjab;

q) ***Institute Funded Student.*—**means a student receiving Institute Fellowship;

r) ***Joint Advisor.*—**means an additional faculty member/expert appointed to look after the research work of the student;

s) ***Minimum Registration Period.*—**means the minimum period for which a student must be registered prior to submission of the thesis;

t) ***M.Sc. .—***means Master of Science;

u) ***M.Tech. .—***means Master of Technology;

v) ***NET.—***means the National Eligibility Test conducted by University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research or other Government organizations.

w) ***Other Institute.—***mean those Colleges or Universities which offer Bachelors' degree or higher;

x) ***Sponsored Studen.—*** means a student receiving fellowship from an outside organisation;

y) ***Student-*** means a person admitted or registered for a particular academic programme;

z) ***Student Research Committe.—*** means the Committee meant to monitor progress of a research student.

3) General Guidelines:

a) The minimum qualification for admission to various academic programmes shall be as per the eligibility criteria specified in Section 5.

b) The student shall be required to earn the minimum credit through courses specified for individual academic programme and carry out research work in the Institute under the guidance of Advisor(s). In special circumstances, the Board of Studies and Research may permit a student to carry out part of the research outside the Institute;

c) The student shall be required to fulfill the requirements for the award of Master Degree for a particular programme within the period specified in Section 25.

d) The student registered for Ph.D. programme shall be required to satisfy a minimum registration period requirement specified in Section 26.

e) For a Ph.D. student the date of joining the programme shall be date of his or her provisional registration; and

f) Where a student withdraws from any academic programme or where the provisional registration is terminated in case of Ph.D. Programme within first two year of initial registration, he/she shall cease to be a student.

4) Programmes Offered –

The following Masters Programmes with specialization indicated as under are available to the students. All the programmes will be of four-semester duration as per the Academic Calendar.

a)Master of Science (Pharm.) Programme:

The following specializations shall be offered:
i) Medicinal Chemistry;
ii) Natural Products;
iii) Traditional Medicine.
iv) Pharmaceutical Analysis;
v) Pharmacology & Toxicology;
vi) Regulatory Toxicology;
vii) Pharmaceutics;
viii) Biotechnology;
ix) Pharmacoinformatics;

b)Master of Pharmacy Programme:

The following specializations shall be offered:
i) Pharmaceutical Technology (Formulations);
ii) Pharmacy Practice;

iii) Clinical Research.

c) Master of Technology (Pharm.) Programme:

The following specializations be offered:
i) Pharmaceutical Technology (Process Chemistry);
ii) Pharmaceutical Technology (Biotechnology).

d)Master of Business Administration (Pharm.):

The following specializations shall be offered:
i) Finance;
ii) Human Resource Management;
iii) Information System Management;
iv) Marketing;
v) Production.

e) Ph.D. programmes in various disciplines shall be available.

5) Eligibility for admission :

a)Master of Science (Pharm.) Programme:

i) Medicinal Chemistry
B.Pharm.; M.Sc. (Organic Chemistry);

ii) Natural Products
B.Pharm.; M.Sc. (Organic Chemistry);

iii) Traditional Medicine
B.Pharm.; B.A.M.S.; M.Sc. (Botany);

iv) Pharmaceutical Analysis
B.Pharm.; M.Sc. (Organic/Analytical Chemistry);

v) Pharmacology & Toxicology
B.Pharm.; B.V.Sc.; M.B.B.S.;

vi) Regulatory Toxicology
B.Pharm.; B.V.Sc.; M.Sc. (Pharmacology/Toxicology/Life Sciences/Biochemistry/Medical Biotechnology/Zoology); M.B.B.S.;

vii) Pharmaceutics
B.Pharm.;

viii) Biotechnology
B.Pharm.; M.Sc. (Biological Sciences);

ix) Pharmacoinformatics
B.Pharm.; B.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Organic/ Physical/Pharmaceutical Chemistry/Biochemistry/Biotechnology/ Molecular Biology/Bioinformatics/Microbiology).

b)Master of Pharmacy Programme:

i) Pharmaceutical Technology (Formulations)
B.Pharm.;

ii) Pharmacy Practice
B.Pharm.;

iii) Clinical Research
B.Pharm.

c) Master of Technology (Pharm.) Programme:

i) Pharmaceutical Technology (Process Chemistry)
B.Pharm.; M.Sc. (Organic Chemistry) and B.Tech. (Chemical Engineering) or equivalent;

ii) Pharmaceutical Technology (Biotechnology)
B.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences).

d)Master of Business Administration (Pharm.):

B.Pharm.; B.Tech. (Chemical Engg. or equivalent); M.Sc. (Chemical/Life Sciences).

e) Ph.D. Programmes:

Chemical Sciences:

i) Medicinal Chemistry
M.S. (Pharm.) (Medicinal Chemistry/Natural Products); M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry); M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs/Process Chemistry); M.Sc. (Organic Chemistry);

ii) Natural Products
M.S. (Pharm.) (Natural Products/Medicinal Chemistry/Traditional Medicines); M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry/ Pharmacognosy); M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs/Process Chemistry); M.Sc. (Organic Chemistry);

iii) Pharmacoinformatics
M.S. (Pharm.) (Pharmacoinformatics/Medicinal Chemistry/Natural Products); M.Tech. (Pharm.) (Bulk Drugs/Process Chemistry); M.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Organic/Physical/ Pharmaceutical Chemistry/Biochemistry/Biophysics/Biotechnology/ Bioinformatics/Microbiology);

iv) Pharmaceutical Technology (Process Chemistry)
M.S. (Pharm.); M.Tech. (Pharm.); M.Sc. (Organic Chemistry).

Biological Sciences:

i) Pharmacology & Toxicology
M.S.(Pharm.)/M.Pharm./M.Tech.(Pharm.) (Medicinal Chemistry/Pharmaceutical Chemistry, Natural Products/Pharmacology & Toxicology/ Regulatory Toxicology/Formulation/ Biotechnology/Pharmaceutics/Pharmacoinformatics); M.E./M.Tech./M.Sc. (Pharmacology/ Biotechnology/Nanotechnology/Computational Sciences/Biochemistry/Toxicology/Zoology/ Physiology/Life Sciences/Microbiology/Organic Chemistry/Pharmaceutical Chemistry); M.D. (Pharmacology), M.V.Sc (Pharmacology/Pathology/Biotechnology); MCA

ii) Biotechnology
M.S.(Pharm.)/M.Pharm./M.Tech.(Pharm.) (Medicinal Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry/Natural Products/Pharmacology &Toxicology/Formulation/Biotechnology/ Pharmaceutics/Pharmacoinformatics); M.E./M.Tech./M.Sc.(Biotechnology/Life Sciences/Computational Sciences; Biochemistry/Botany/ Zoology/Physiology/Life Sciences/Organic Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry); M.V.Sc.; MCA;

iii) Pharmacy Practice
M.Pharm. (Pharmacy Practice/Community Pharmacy/Hospital Pharmacy/Clinical Pharmacy);

iv) Pharmaceutical Technology (Biotechnology)
M.S. (Pharm.); M.Pharm.; M.Sc. (Life Sciences); M.Tech. (Pharm.) (Biotechnology).

Pharmaceutical Sciences:

i) Pharmaceutical Analysis

M.S. (Pharm.) (Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutical Analysis); M.Sc. (Organic/Analytical Chemistry);

ii) Pharmaceutics

M.S. (Pharm.) (Pharmaceutics/Biotechnology/Pharmacology); M.Pharm. (Pharmaceutics/Formulations); M.Tech. (Pharm.) (Biotechnology); M.Tech. (Biomedical Engineering/Biotechnology/Chemical Engineering);

iii) Pharmaceutical Technology (Formulations)

M.S. (Pharm.) (Pharmaceutics/Biotechnology/Pharmaceutical Analysis); M.Pharm. (Pharmaceutics/Formulations); M.Tech. (Pharm.) (Biotechnology).

Qualification of GPAT/GATE/NET is mandatory for all except for candidates holding B.V.Sc./M.V.Sc./M.B.B.S./M.D./B.A.M.S. degrees and Foreign Nationals.

Student shall possess a Cumulative Grade Point Average of 6.75 on the scale of 10 points or minimum 60% marks in the eligibility qualification. Provided that relaxation in Cumulative Grade Point Average to 6.25 on 10 point scale or to 55% marks in eligibility criteria shall be allowed to Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidate. Eligibility requirement for physically handicapped candidate shall be Cumulative Grade Point Average of 5.75 on 10 point scale or minimum of 50% marks.

6) Sponsored Candidates -

Five percent of seats, over and above the sanctioned number, in Masters programmes, shall be available for candidates, sponsored by Government Departments/Research and Development Organizations/Public Sector Undertakings/Reputed Private Pharmaceutical Enterprises.

Reputed Private Pharmaceutical Enterprises shall mean "Industry/Government Sponsored, a Trust, a Private Limited Company, a partnership/LLP company. A self employed person/Small Scale entrepreneur having Drug Manufacturing License and 3 year experience of running Pharma Unit can sponsor himself and Income Tax Returns for 3 years should be sought for considering eligibility. Industry/Government Sponsored sponsoring candidates should have an annual turnover of Rs. 100 Crores (for Private Limited Company); 10 Crores (for Partnership/Limited Liability Partnership Company); 2 Crores (for self employed) respectively. Besides above, candidate should be one whose Provident Fund is deducted by the employer"

Sponsored candidate shall be charged at least double the normal/regular fee.

Eligibility Conditions:

a) Qualifying degree with a minimum of 60% marks in aggregate or Cumulative Grade Point Average of 6.75 on a 10 point scale;

b) Minimum relevant working experience of two years in his or her sponsoring employer's organization after the qualifying degree. A salary statement for these two years shall be required.

c) Sponsorship certificate from sponsoring organization in the form of an undertaking that the sponsored employee shall be treated on duty and paid his or her usual salary and allowances for the period of studies/research at this Institute. Such employees shall be fully relieved by the employer for studies/research.

d) The requirement of qualifying GPAT/GATE/NET is relaxed for such candidates; and

e) Where an employer wish to withdraw the sponsorship, such employer shall be required to give cogent reasons for the withdrawal. The student then will be given an opportunity to put forth his or her side of the issue. Where the Dean and Director are satisfied that the student has violated any terms and conditions of the agreement with the employer, such person shall cease to be student of the Institute. Where student has not violated any terms and conditions of the agreement with his employer, he or she shall be allowed to complete his or her studies. No fees shall be refunded in any situation. Ph.D. students financed by the government/semi-government organizations like University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Medical Research, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology and such other organizations shall be over and above five per cent seats mentioned in this section.

7) Admission of Foreign Nationals:

a) On the recommendation of Ministry of Human Resource Development/ Ministry of External Affairs, Govt. of India, eligible Foreign Nationals selected by the respective ministry under various scholarship schemes shall be considered for admission; and

b) Eligible Self Financing Foreign Nationals shall be directly considered for admission by the Institute. These candidates shall approach the Institute for admission with prior clearance from Ministry of External Affairs, Govt. of India.

c) These seats shall be over and above the available seats.

8) Reservation:

In accordance with the National Policy, the following reservation shall be permitted in all the Masters programmes:

a) Scheduled Castes candidates; 15% seats;

b) Scheduled Tribes candidates; 7.5 % seats and

c) Other Backward Class candidates; 27% seats.

Three percent seats, over and above the sanctioned strength, are reserved for Physically Handicapped candidates provided that not more than two Physically Handicapped candidates shall be admitted in a single discipline.

9) Entrance Test:

a) An Entrance Test shall be conducted for admission to all Masters Programmes;

b) A separate Entrance Test shall be conducted for Ph.D. programmes;

c) Student desirous of seeking admission shall have to submit an application on the prescribed form for appearing in the Entrance Test; and

d) The prescribed form shall be available online with the Information Brochure after the publication of admission notice in various national newspapers and on Institute's website.

10) Admission Criteria:

a) Masters Programme:

i) The admission shall be made on the basis of merit in the Entrance Test;

ii) For Masters of Business Administration (Pharm.) the admission shall be made on the basis of merit in the Entrance Test and performance in Group Discussion and Interview; the weightage of which shall be determined as follows:

Merit in the Entrance Test - 85%;
Group Discussion & Interview - 15%.

b) Ph.D. Programme:

The admission shall be made on the basis of the following weightage:
Merit in the Entrance Test - 85%;
Performance in the interview - 15%.
All the candidates shall be required to submit Medical Fitness Certificate at the time of admission in the prescribed form.

11) Procedure for Admission:

a) Masters Programme:

i) The eligible candidate shall have to appear in person for admission. The candidate shall be required to appear in interview and/or Group Discussion, wherever applicable;

ii) No admission shall be made in absentia;

iii) The list of selected candidates for the admission shall be displayed on the Institute Notice Board and Website;

iv) The selected candidates shall be required to deposit fee and other charges by the notified date and time;

v) The payment shall be made by a crossed bank draft payable at Chandigarh/S.A.S. Nagar, in the favor of Director, NIPER or by cash at the counter;

vi) Where the candidate does not deposit Fees etc. by notified date and time, he or she shall forfeit the seat. The seat shall be offered to the next candidate on the merit list;

vii) The student shall register before the commencement of each semester in the period mentioned in the Academic Calendar of the institute;

viii) Where the student withdraws after taking admission and paying the fees, only security amount shall be refunded.

b)Ph.D. Programme:

i) Admission shall be made on the basis of merit in Entrance Test and Interview;

ii) The candidate shall appear in person at the time of interview;

iii) No admission shall be made in absentia;

iv) The Fee and other charges shall be required to be paid by the notified date and time;

v) Where the candidate does not deposit Fees etc. by notified date and time, he or she shall forfeit the seat. The seat shall be offered to the next candidate on the merit list;

vi) The candidate shall provisionally register for Ph.D. Programme at the time of admission;

vii) Where the student successfully completes the course work and clears the comprehensive examination, the provisional registration shall be the formal registration from the date of admission ;

viii) Where the student withdraws after taking admission and paying the fees, only the security amount shall be refunded.

12) Classification of Students:

The candidate admitted in any of the programmes in the Institute shall be categorized as:

a) Institute Funded Student;

b) Sponsored Student:

i) Students under fellowship from Govt. funding agencies; University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Medical Research, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology and such other Government organizations.

ii) Students sponsored by Government Departments/Research and Development Organizations/Public Sector Undertakings/Reputed Private Pharmaceutical Enterprises/Ministry of External Affairs

13) Fellowship:

a) All Institute Funded students shall be entitled to fellowship;

b) Grant of fellowship shall be governed by the terms and conditions laid down by the Senate;

c) The student registered for Masters Programme shall receive fellowship for not more than four semesters. This shall include previous registration if any;

d) Institute Funded Students registered for Ph.D. Programme shall receive fellowship for not more than five years;

e) The fellowship for Institute Funded students shall be renewed every semester for Masters Programme students as well as for Ph.D. students; and every year after comprehensive examination for Ph.D. students.

f) Where, at any stage, the progress and conduct of awardee student is not satisfactory, the fellowship shall be suspended/terminated. However, student will be given an opportunity to be heard before any adverse action is initiated against him/her; and,

g) The Institute shall provide financial assistance to three students of M.B.A. (Pharm.) programme of each of second, third and fourth semester of the programme. The financial assistance shall be given on the basis of merit in the previous semester.

Provided that where more than three students become eligible for consideration on account of the same merit as in Section 13(g), merit shall be decided on the basis of GPA and entrance merit for award of fellowship for the second semester and on the basis of GPA, CGPA and entrance merit in subsequent semester whichever is applicable.

14) Renewal of Registration:

a) Where the Student Research Committee is satisfied that the student has completed required number of courses/credits and/or the progress in research work is satisfactory, such student shall be permitted to renew his or her registration. This evaluation for Masters students shall be in 3rd and 4th semester. For Ph.D. students, the registration shall be every year after comprehensive examination;

b) Before the commencement of semester every student shall renew registration in person in accordance with the procedure and schedule laid down by the Institute. The student shall deposit the fee and other charges at the time of renewing the registration;

c) The student shall produce 'No Dues' Certificate from accounts department as well as from hostel warden at the time of renewal of registration;

d) Late or in-absentia renewal of registration shall not be permitted. However, in special circumstances such as departmental assignment/training etc. the Dean, having been satisfied of the circumstances, shall permit late or in-absentia renewal of registration. No renewal of registration shall be permitted after 10 days of commencement of classes/semester; and

e) The student(s) who fail to renew registration by the notified date shall cease to be the student of Institute.

15) Cancellation of Registration:

The registration shall be cancelled under any of the following conditions:

a) Where the student absents for a continuous period of four weeks without prior intimation/sanction of leave;

b) Where the student fails to renew registration;

c) Where the student fails to clear the examination

d) Where the student has committed an act of misconduct/indiscipline;

e) Where academic performance of the student is unsatisfactory; and

f) Where the student resigns from the programme and his or her resignation has been accepted.
Provided the student will be given an opportunity of being heard before invoking sub-section (a) to (e).

16) Attendance:

a) The student shall be expected to attend every lecture and practical class of each subject. However to be eligible to take semester-end examination the student shall be required to attend 75% of actually held lectures and practical classes of each course;

b) Where the student appears in repeat examination under Section 24(c) he or she shall be required to attend classes with regular students of next batch and the attendance requirement shall be as (a) above; and

c) Where the student appears in the repeat examination under Section 24(b) he or she shall not be required to attend the classes.

17) Leave:

a) Masters students shall be entitled to 45 days leave, in addition to general holidays, during the four semester course work;

b) Ph.D. students shall be entitled to 30 days leave, in addition to normal holidays, in a year;

c) The student shall be granted leave with fellowship for attending academic meetings, training, conferences and symposia with the prior approval of the Dean;

d) The students availing fellowship shall not be entitled to any vacation leave such as summer, winter etc.;

e) The students shall be eligible to 10 days Medical Leave in addition to leave as (a) above; and

f) The woman students shall be entitled to 3 months maternity leave with fellowship in addition to 30 days leave once in their studentship;

g) The leave shall be granted by the Head of the Department; on the recommendation of the advisor.

h) Every department shall maintain leave account of each student.

i) Ph.D. students under sponsored categories (CSIR/UGC/DST/ICMR/DBT etc.) are governed by the rules of the funding agencies which provide financial support.

18) Course Work and Evaluation:

a) Course Work:

i) The study programme in the Institute shall be organized on Credit System;

ii) Each course shall carry certain number(s) of credits which shall describe its weightage;

iii) The number of credits earned by the student shall determine his or her performance;

iv) For every course, a faculty member shall act as course coordinator;

v) The course coordinator shall be responsible to coordinate the work of other faculty members involved in the conduct of course, holding test, evaluating assignment and awarding the grades;

vi) A minimum Cumulative Grade Point Average shall be required for the award of Degree; and

vii) The student shall approach the course coordinator with respect to any matter related to that course.

On the recommendation of advisor and consent of the course coordinator, the Ph.D. student shall be permitted to add or delete course(s).

b)Evaluation:

i) The student shall be required to take two written examinations for each theory course, one Mid-Term Examination and other End-Term Examination; For any course the distribution of marks will be 20% for Mid-term, 20% for internal assessment and 60% for end of semester examination;

ii) The student also shall have to undertake laboratory work, workshops and home assignments, which shall be evaluated;

iii) The student shall be awarded Grade on the basis of Mid- and End- Term Examinations, laboratory work, workshop assignment and home assignments;

iv) Where the course has been assigned one lecture every week during the semester such course shall have the weightage of one credit. However, certain courses can be assigned maximum of three credits;

v) Where there is a need to assign more than three credits for a particular course(s), prior approval of Board of Studies and Research is mandatory;

vi) Where laboratory and experimental course(s) have been assigned five hours every week such course(s) shall have one credit. Where there is need of deviation from this, prior approval of Board of Studies and Research shall be mandatory; and

vii) Where a student remains absent in any examination he or she shall be awarded F grade.

19) Grading System:

The letter grade and their equivalent grade points are as given below:-

Grade	Grade Point	Performances
A	10	Outstanding
A(-)	9	Excellent
B	8	Very Good
B(-)	7	Good
C	6	Average
C(-)	5	Below Average
D	4	Marginal
E	2	Poor
F	0	Very Poor/Absent/short of attendance
I	-	Incomplete
N	-	Audit Pass
NE	-	Audit Fail
W	-	Withdrawal
X	-	Continuation (only Masters Research Project)
S	-	Satisfactory completion of Practical Training
Z	-	Non-completion of Practical Training

Grade Point Average (GPA) = (Number of Credits x Grade Points) divided by Credits

For calculating GPA only those course(s) including projects will be taken into account in which the student has been awarded A,B,C or D Grade.

20) I- Grade:

a) Where the student has secured attendance of 50% or more but less than 75% in lectures/tutorials and/or laboratory classes, whichever applicable, but fails to fulfill the requirement of course on account of illness, accident /mishap or any other exigency, he or she shall submit an application to the course

coordinator for award of I Grade. The application shall be supported, in case of illness, with the Medical Certificate from the Medical Officer of the Institute. However, if the student was outside the Institute at the time of illness then a medical certificate from a medical officer, not below the rank of Deputy Medical Officer of the District, shall be required.

Where the course coordinator is satisfied about the facts of the case, he or she in consultation with Head of the Department shall permit the student to fulfill the requirements of attendance by giving assignments on topics not attended by the student. The record of such assignments shall be maintained. The course coordinator then shall recommend the case of grant of 'I' grade to the Head of the Department. The Head of the Department shall forward the case to the Dean.

b) Where the student has secured 75% attendance in the course(s) but was unable to appear in End Semester Examination on account of illness, accident/mishap or any other exigency, he or she shall submit an application to the course coordinator for the award of 'I' grade. The application shall be supported in case of illness with a Medical Certificate as given at (a) above. The course coordinator having satisfied about the circumstances of the case shall forward the application to Head of the Department. The Head of the Department shall further recommend the case to the Dean.

c) After the approval by the Dean, the student shall be granted 'I' grade and a notification shall be issued. The copy of the notification shall be endorsed to the Senate.

d) Where the student has been awarded 'I' grade he or she shall appear in the end semester examination in course(s) in which he or she was absent within 10 days of the last day of Mid-Term Examination and shall be awarded regular grade.

21) Audit Course:

Where a student feels the necessity of acquiring knowledge of the subject(s), apart from the courses registered for, he or she shall approach the course coordinator and Advisor in this regard. The course coordinator having satisfied about the need shall permit the student to audit such course(s) provided the course(s) are being offered in the Institute. The student shall be awarded N or NE grade based on fulfillment of 75% attendance.

22) W- Grade:

a) Where the student is unable to pursue his or her courses of studies on account of the reasons beyond his or her control, such student shall approach the Dean for permission to withdraw from the courses;

b) Where the Dean is satisfied about the merit of the case, he shall recommend the case to the Director for the grant of permission for the withdrawal;

c) Where the Director permits the student to withdraw from the courses, he or she shall be awarded 'W' grade for such courses;

d) Withdrawal shall not be permitted in the Masters Research Project;

e) The student shall complete the courses in all respect when these courses are offered; and

f) Where the student successfully completes the requirements of the courses, he or she shall be awarded the regular grade.

23) X- Grade -

a) Where the student has not been able to complete his or her Masters Research Project work on account of illness or non-availability of equipment/Advisor, the Advisor in consultation with Head of the Department will forward the case for the grant of X grade to the Dean. Where the Dean approves the case, the student shall be awarded X grade; and

b) Where the impediments indicated in (a) above have disappeared the student shall complete the project work within six months. The project work shall be evaluated and the student shall be awarded regular grade.

24) Repetition of Examination -

a) The student shall be permitted repetition of examination in theory courses, in the following cases:

b) Where the student earns E or F or both grade(s) in not more than two courses, he or she shall be required to repeat the examination. The examination shall be held within 10 days of the last day of the mid-term examination in the following semester;

c) Where the student does not get E or F grades in any theory course but scores a Cumulative Grade Point Average of less than 6.00, he or she shall be allowed to repeat examination in maximum of two courses to improve the grade;

d) Where the student has attendance of 75% or more but is unable to appear in the examination in the course(s) on account of the reasons specified for awarding the 'I' grade, the student shall be required to appear in the End-semester examination in the semester when the examination for the course is held. The student shall not be required to attend the classes again and shall pursue course (s) of subsequent semester(s)/dissertation;

e) Where the attendance of the student is less than 75% and is not permitted to appear in the examination, he/she shall have to repeat the course (s) in the semester when such course(s) is/are offered.

f) Where the student earns 'F grade' in more than two courses in any semester, he or she shall have to discontinue the studies and shall cease to be the student of the Institute;

g) Where a student otherwise wants to improve his or her Cumulative Grade Point Average , such student shall be permitted to repeat the examination in not more than two theory courses of that semester;

h) Grade points awarded in repeat examination shall be final;

i) Grade obtained on account of improvement examination shall be specified in the award list; and

j) The student opting for grade improvement examination shall not be eligible for merit awards. Such student shall rank in merit list below the students who cleared the examination in first attempt.

25) Qualifying Criteria for the award of Master Degree:

a) Master of Pharmacy /Master of Technology (Pharm.)/Master of Science (Pharm.):

i) The requirement for the award of Master Degree shall be minimum 50 credits. Out of this 30 credits shall be for the course work and 20 credits for the project work;

ii) The requirement for the award of Master Degree in Pharmacoinformatics shall be minimum 50 credits. Out of this 36 credits shall be for the course work and 14 credits for the project work;

b) Master of Business Administration (Pharm.):

i) The requirement for the award of Masters Degree shall be minimum 100 credits. Out of these 86 credits shall be for the course work, 12 credits for the project work and 2 credits for the summer training;

ii) The requirement of minimum Cumulative Grade Point Average shall be 6.0;

iii) Where the student after availing the maximum number of repeat examinations, fails to clear the course(s) or fails to earn minimum Cumulative Grade Point Average , the student shall have to discontinue the programme;

iv) Having successfully completed the course work, and on the successful completion of research work, the student shall submit the dissertation;

v) After evaluation of research work and successfully clearing the dissertation defence examination, the student shall be eligible for the award of the degree; and

vi) Maximum period for the completion of Masters Programme shall be three years from the date of joining the programme.

26) Qualifying Criteria for the award of Ph.D. Degree:

a) The student with M.S. (Pharm.) degree from this Institute shall be required to complete Doctoral courses of minimum 12 credits;

b) The student with qualifications from other Institute shall be required to complete minimum of 28 credits, out of these 16 credits shall be from specialization, and remaining 12 credits shall be Doctoral courses;

c) Candidates who have already done their Masters in the same specialization, waiver may be granted in specific courses only after critical appraisal of the syllabi in NIPER and previous institute by the DAAC.

d) The students shall have to obtain a minimum Cumulative Grade Point Average of 6.50;

e) Where Cumulative Grade Point Average is between 6.00 and 6.50 the student shall have to take more courses to earn Cumulative Grade Point Average of 6.50;

f) Where the student earns Cumulative Grade Point Average of less than 6.00, such student shall have to discontinue the programme;

g) Where the student has fulfilled the requirements of theory courses, he or she shall appear in comprehensive examination;

h) The student shall be allowed two attempts to clear the comprehensive examination. Provided that both the attempts shall not be in the same semester;

i) Where the student successfully clears the comprehensive examination, his or her provisional registration shall be considered as formal registration for Ph.D. programme;

j) The registration period shall not be less than three years. However, in exceptional cases the registration period shall be two years;

k) On the successful completion of research work, the student shall submit the thesis; and

l) After evaluation of research work and successfully clearing the thesis defence examination, the student shall be eligible for award of degree.

27) Committees -

The following committees shall be constituted for the academic administration:

a) Board of Studies and Research:

The Board shall deliberate and suggest the viability of introducing new course(s), modification in the existing course structure and revising/ updating the syllabi. The Board shall also supervise administrative functionalities related to student admission, running of courses, examination/evaluation procedure and take up the matter recommended by Student Research Committee. Where consultation with some faculty member/expert in the deliberation is essential, such faculty member/expert shall attend the meeting as 'Invitee'. The board shall consist of:

i)	Dean	Chairman
ii)	Heads of the Departments	Members
iii)	Three experts one each from the fields of Chemical Sciences, Biological Sciences and Pharmaceutical Sciences	Members
	Deputy Registrar (Acad. & Exam.)	Non-member Secretary

b) Department Academic Advisory Committee:

The Advisory Committee shall update the syllabi of courses being offered in the department, prepare the new syllabi, examine the feasibility of introducing new courses and forward it to Board of Studies for further consideration. The committee shall consist of:

i)	Head of the Department	Chairman
ii)	Dean's Nominee shall be a faculty member from the department other than that of department concerned.	
iii)	Tenure of this member shall be two years; and	Member
iv)	Two external experts to be nominated by the department.	Members

c) Student Research Committee:

The committee shall manage and monitor academic activities of the students. It shall also manage, monitor and evaluate the research of the students. The committee shall consist of:

i)	The Advisor	Chairman
ii)	Head of the Department	Member
iii)	One expert in the field from the department	Member
iv)	Dean's Nominee shall be a faculty member from the department other than that of department concerned.	Member

Provided that where Head of the Department is Advisor, another faculty member of the concerned department shall be a member.

Dean shall notify the constitution of committee given at (a) whereas for the committee at (b), (c) Head of the respective department shall issue the notification.

Three-fourth members of the notified committee shall form the quorum.

28) Research Proposal and Comprehensive Examination:

a) Where the Ph.D. student has completed course work, he or she shall be required to submit a research proposal to the Student Research Committee. The student shall have to prove his or her capabilities in broad field of research, academic preparation and potential to carry out proposed research plan. For this purpose the student shall be required to appear before the Student Research Committee to take Comprehensive Oral Examination. The Student Research Committee shall evaluate the student in the context of research proposal submitted by him.

b) Where the committee has evaluated the student, it shall make one of the following recommendations:

i) The student has passed the comprehensive examination and research proposal is approved;

ii) The student shall take additional course(s) and then reappear in the examination after a specified period of time;

iii) The student shall incorporate the modification in the research plan as suggested by the Student Research Committee and re-submit the research proposal in a specified period of time.

c) Where the result of the student falls in b(ii) or b(iii) or both, whichever applicable, the student shall reappear in the comprehensive examination.

d) The student shall have to pass the Comprehensive Examination in maximum of two attempts and before the beginning of sixth semester. Provided both the attempts shall not be in the same semester.

e) Where the student fails to pass the examination by the stipulated time, he or she shall approach the Student Research Committee in writing for extension in time.

f) Where the Student Research Committee is convinced about the merit of case, it will grant him an extension of maximum six months and intimate the Dean. The student shall get only one chance, in addition to the provisions at (d) above, to pass the Comprehensive Examination in the extended period.

g) Where the student fails to pass the comprehensive examination even during the extended period, his or her registration shall be cancelled.

29) Advisor:

a) The Head of the Department in consultation with the faculty members of the Department shall assign Advisor(s) for each student taking into consideration the preference of the student within four weeks of the admission;

b) The Advisor shall be a full time faculty member of the Institute;

c) Where Joint Advisor(s) needs to be appointed, the Advisor shall send the proposal to Dean, who shall place it in the Board of Studies and Research for final approval. Not more than two Joint Advisors, from inside or outside the institute, shall be appointed;

d) The Joint Advisor(s) if necessary shall be appointed within eighteen months of provisional registration;

e) Not more than two Advisors shall be assigned to the student from within the Institute. Provided that where Advisor is/are not available at a stretch for a year or more in the Institute the above restriction shall not apply;

f) Advisor for Masters Students shall be appointed during the first four weeks after admission; and

g) Where the Advisor is not available on account of retirement/resignation/ death/long absence from the Institute before the approval of synopsis, a new Advisor shall be appointed for such a student.

Provided that if such a situation arises after approval of synopsis, the research shall be deemed to be completed under the originally appointed Advisor. For completion of remaining requirements an Administrative Advisor shall be appointed by the Head of the Department with the concurrence of Dean and Director. The originally appointed Advisor shall be invited as a member of Oral Defence Committee, but in case of inability to accept the invitation, the Administrative Advisor will act as an Advisor.

Reallocation of Ph.D. students under different Advisor shall be permitted under administrative exigencies to the satisfaction of Dean and Director. The change may be permitted in related discipline.

30) Progressing Monitoring:

a) Every student shall submit progress report of his or her course work, research and oral examination to his or her Advisor at the end of the semester. The Advisor shall convene a meeting of Student Research Committee at the earliest for consideration of the progress report.

b) After assessing the progress report the Student Research Committee shall recommend one of the following:

i) Registration shall continue;
ii) Continuation of registration is subject to incorporation of suggested improvements; and
iii) Registration be terminated.

31) Preparation and Submission of Dissertation/Thesis:

a) Masters Programmes:

i) Where the student has completed the project work, he or she shall submit unbound dissertation, properly secured in file covers and present the work before the Student Research Committee; and

ii) Where the Student Research Committee approves the work, the student shall prepare the dissertation in the format prescribed by the Institute and submit four copies of hardbound thesis by the due date.

b)Ph.D. Programmes:

i) Where the student has completed the research, he or she shall present the work to Student Research Committee;

ii) Where the Student Research Committee approves the research work, he/she shall submit the synopsis, complete in all respects, through the Advisor to the Student Research Committee;

iii) Where the Student Research Committee approves the synopsis, the student shall submit the thesis within six months from the date of clearance. However, under special circumstances, this period may be extended to a maximum period of one year on the recommendation of Dean and approved by Director; and

iv) The student shall submit four copies of unbound thesis properly secured in file covers.

The Ph.D. student shall be required to submit the thesis within five years from the date of registration. This period may be extended to seven years with the approval of Board of Studies and Research.

32) Panel of Examiners -

a)M.S.(Pharm.)/M.Pharm/M.Tech.(Pharm.)/M.B.A.(Pharm):

The Student Research Committee members shall be panel of examiners for the dissertation.

b)Ph.D. Programmes:

i) The Advisor in consultation with the Student Research Committee shall recommend to the Dean a panel of six experts, for every doctoral student. Three of the experts shall be from abroad; and

ii) Where the student submits Ph.D. Thesis, the Dean shall nominate two experts out of the panel for evaluation of thesis. One of the experts shall be from abroad.

33) Evaluation of Dissertation/Thesis -

a)Masters Dissertation:

The Masters Dissertation shall be evaluated by the Student Research Committee.

b)Ph.D. Thesis:

i) Ph.D. thesis shall be evaluated by two external examiners. One of the examiners shall be from abroad;

ii) The external examiner shall be requested to evaluate the thesis and send the evaluation reports to the Dean within a stipulated period of time;

iii) Where there is difference of opinion between the external examiners, the Dean, shall appoint third examiner to evaluate the thesis;

iv) Where the external examiners approves the Ph.D. thesis, arrangements should be made for holding viva voce examination. Where the external examiners recommend re-submission, the thesis must be submitted in a maximum period of two years irrespective of numbers of revision allowed.

34) Defence of dissertation /thesis:

a)Masters Programme:

i) Where the student has been permitted to submit dissertation, he or she shall appear in viva-voce examination on the specified date to defend the dissertation;

ii) The Student Research Committee shall be the Board of Examiners for the examination;

iii) The Board shall communicate to the Dean the result of this Viva-Voce examination which shall be that student has passed the examination or the student is required to incorporate certain modification or the student shall again appear in viva-voce examination on specified later date;

iv) Where the student has been asked to incorporate certain modification and he or she has done so it shall be brought to the notice of the Board through the Advisor. Having satisfied that Board's direction have been met with, the Board shall communicate to the Dean that the student has passed the examination; and

v) Where student again appears for Viva-Voce examination before the Board and successfully defends the dissertation; the Board shall communicate to the Dean that the student has passed the examination.

b) Ph.D. Programme:

i) Where the thesis of the student has been accepted , he or she shall appear in the Viva-Voce examination before the Board of Examiners to defend the thesis;

ii) The Board of Examiners for the conduct of Viva-Voce examination shall consist of; Dean, who shall be the Chairman, one of the two External Examiners, the Advisor, Head of the Department and one faculty member from the department in case Head of the Department is the advisor. Where the Dean is the Advisor, the Director or his nominee shall be the Chairman. In the absence of non-availability of either of the two external examiners, the Dean shall appoint other examiner preferably from the panel of examiners as mentioned in Section 32(b);

iii) The Board shall submit the result of the examination to the Dean that the student has passed the examination or certain modifications are required to be incorporated in thesis or the student shall again appear for the viva-voce examination on the specified later date or the student does not deserve the award of degree;

iv) Where the student has been advised to incorporate the suggestions of Board of Examiners, it shall be verified by the Advisor. Having satisfied that the proposed suggestions have been incorporated, Advisor shall communicate to the Dean about it; and

v) Where the student is required to re-appear for Viva-Voce examination before the Board of Examiners, and he successfully defends the thesis, the Board shall communicate to the Dean that student has passed the examination.

The student shall be issued the provisional certificate of having passed the examination after he or she submits three copies of bound dissertations/thesis.

35) Award of Degree:

Where the student has:

a) Submitted no dues certificate;

b) Passed the viva-voce examination; and

c) Submitted three bound copies of dissertation, the Senate shall recommend to the Board of Governors for the award of degree.

36) Post Doctoral Research:

The post doctoral fellow shall be associated with certain research projects for the purpose of research work.

37) Curriculum Development:

a) On account of globalization the demand of quality education has increased manifolds. Updating and improving curriculum has become a necessity. To meet the demand of quality education the Institute shall endeavor to keep abreast by continually revising the curriculum;

b) The Institute shall have continuous interaction with Industry. The professionals from Industry shall be associated with the curriculum development to make Institute- Industry interaction fruitful;

c) To meet the challenges of globalization, interaction at National and International level shall be pursued effectively; and

d) The Institute shall adopt all modern techniques connected with the effective teaching to develop a dynamic curriculum.

38) Training and Continuing Education Programmes:

In order to meet its commitments to keep the persons associated with Pharmaceuticals updated about the latest developments in research, the Institute shall organize short term courses, from time to time, as given below:

a) Training Programmes/Workshops for the persons associated with the Pharmaceutical Industry; and

b) Refresher Courses, Summer Schools and Seminars for the persons associated with the Pharmaceutical Education in Colleges and Universities.

39) Hostel Accommodation:

All the students shall be eligible for hostel accommodation and shall be provided the same subject to the availability. Charges for the accommodation shall be specified by the Senate from time to time.

40) General:

a) Notwithstanding anything contained in this ordinance the students shall be governed by rules and procedures laid by the Senate from time to time; and

b) In the event of any doubt or dispute regarding interpretation of this ordinance, decision of the Chairman of the Senate shall be final.

Prof. K.K.BHUTANI, Director (Offg.)

[ADVT-III/4/Exty/302-A/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.